स्वच्छ भारत सुरक्षित भारत स्वच्छ भारत

सड़क सुरक्षा

पॉकेट बुक

समस्त सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार

रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा

एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते मैं शपथ लेता हूँ कि

1. मैं कभी भी शराब पीकर ड्राइव नहीं करूँगा।
2. मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनूँगा।
3. मैं हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक कानूनी दस्तावेज साथ रखूँगा।
4. मैं कभी भी ड्राइव करते समय मोबाइल पर बात नहीं करूँगा।
5. मैं सड़क के सिग्नलों का पालन करूँगा।
6. मैं कभी भी पीली रेखा पार नही करूँगा।
7. मैं कभी भी सड़क के बीच में खड़ा नहीं रहूँगा और साथी यात्रियों से बहस नहीं करूँगा।
8. मैं कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाऊँगा।
9. मैं सभी राहगीरों, खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, विकलागों और सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं पर खास ध्यान दूँगा।
10. मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर वाहन को आगे जाने के लिए जगह दूँगा।
11. मैं कभी भी सड़क की गलत साइड से ओवरटेक नहीं करूँगा।
12. मैं आँखों की नियमित रूप से जांच कराता रहूँगा।
13. मै थका हुआ या तनावग्रस्त होने पर ड्राइव नहीं करूँगा।
14. मैं वाहन का दुरूपयोग नहीं करूँगा। मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा।
15. मैं क्लच का सही इस्तेमाल करके ईधन की बचत करूँगा।
16. मैं वाहन को फिट रखूँगा ताकि वह पर्यावरण को प्रदूषित न करे।
17. मैं अपने यात्रियों के साथ मित्रवत और सहायक रहूँगा।
18. मैं स्कूल, अस्पताल जैसे हॉर्न निषेधित क्षेत्रों में कभी भी हॉर्न नहीं बजाऊँगा।
19. मैं लेन के अनुशासन का पालन करूँगा।
20. मैं सड़क और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करूँगा।

अपनी सुरक्षा, परिवार की रक्षा

सड़क सुरक्षा पर ध्यान दें।

प्रस्तावना

भारत में कृषि व्यवसाय के बाद सड़क परिवहन क्षेत्र ही ऐसा व्यवसाय है, जो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करावाता है। इस व्यवसाय की धुरी वाहन चालक है, परन्तु वाहन चालक के व्यवसाय को आज भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लम्बी दूरी तय करने वाले वाहन चालक वास्तविकता में हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। वाहन चालकों के साथ-साथ सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को सुचारू एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क का सुरक्षित उपयोग करने के प्रशिक्षण के अभाव में उपयोगकर्ता स्वयं ही एकलव्य की भांति स्व–प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि सड़क उपयोगकर्ता जब सड़क का उपयोग करे उससे पूर्व उसे सड़क भाषा यथा रोड सिग्नल, रोड साईन, रोड मार्किंग तथा रोड फर्नीचर आदि का पूर्ण ज्ञान हो वहीं उसे सड़क विनियमों, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं उपायों, दुर्घटना के समय उसकी स्वयं की भूमिका एवं दायित्व, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के अधिकारों एवं सड़क नियमों के उल्लंघन एवं शास्तियों का भी ज्ञान हो। अतः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं परिवहन विभाग के सहयोग से इस पुस्तिका के माध्यम से सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा के संबंध में ज्ञानवर्धन करने का प्रयास किया गया है।

सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

सड़क के नियम

1. रोड सिग्नल – सिग्नल सड़क की भाषा होती है जो मूक होती है। इनका पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। ये तीन प्रकार के होते है –

(i) ड्राईवर द्वारा हाथ/इन्डीकेटर से दिये जाने वाले सिग्नल

(ii) ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिये जाने वाले सिग्नल

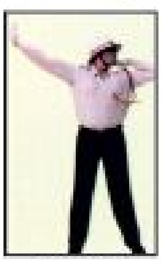

एक ओर के ट्रैफिक को चालू करने के लिए

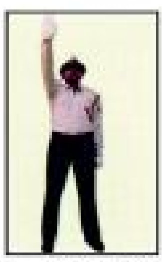

सामने से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए।

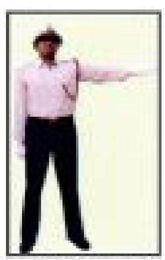

पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए

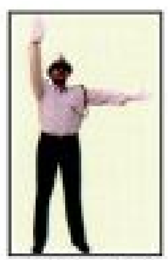

पीछे और सामने की तरफ से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए।

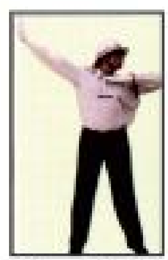

दायीं तरफ से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए ताकि बायीं तरफ के वाहनों को दायीं तरफ मुड़ने का संकेत दिया जा सके।

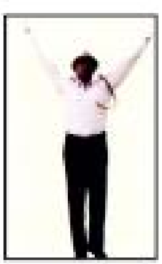

सभी दिशाओं से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए।

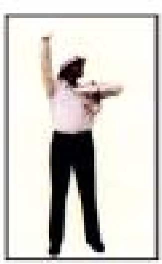

बाएं से आने वाले ट्रैफिक को चालू करने के लिए

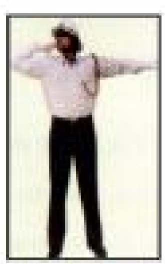

दाएं से आने वाले ट्रैफिक को चालू करने के लिए

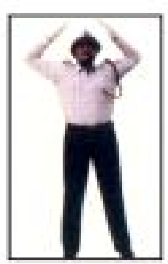

सिग्नल बदलने के लिए

टी सर्किल के ट्रैफिक को चालू करने के लिए

(iii) ट्रैफिक लाईट द्वारा दिये जाने वाले सिग्नल

ट्रैफिक लाइट्स–

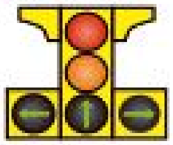

ये सामान्यतः चौराहों पर यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की जाती है। सभी वाहनों को इन ट्रैफिक लाइटों के अनुरूप चलना चाहिए। आप जिस ओर जा रहे हैं उस दिशा में अपने सामने वाली लाइट पर ही ध्यान दें।

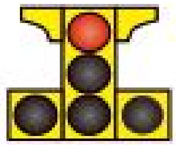

लाल लाइट का अर्थ है अपने वाहन को स्टॉप लाइन के पहले रोकें एवं पदयात्रियों को सुरक्षित जाने दें।

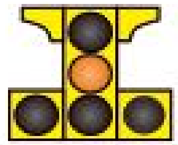

पीली लाइट का अर्थ है कि सावधान रहें। अगर आपनी ओर की स्टॉप लाइन आपने पीली लाइट होने से पहले पार कर ली है तभी दूसरी ओर रास्ता पार करें अन्यथा स्टॉप लाइन पर रूके रहें।

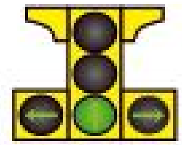

हरी लाइट का अर्थ है कि सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें। अगर रास्ते में कोई पदयात्री हो तो पहले उसे जाने दें।

2. रोड साईन–यह निर्जीव मार्गदर्शक की तरहहोते है जो सड़क पर लगे होते है ये तीन प्रकार के होते है –जिनकी अलग–अलग आकृति होती है।

(I) आदेशात्मक सड़क चिह्न – इनका पालन करना अनिवार्य होता है।

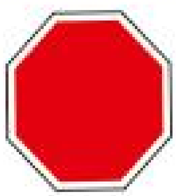

रूकिए

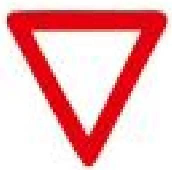

रास्ता दीजिए

प्रवेश निषेध

आने वाले यातायात को प्राथमिकता

सभी मोटर वाहनों का आना मना है

ट्रकों का आना मना है

बैलगाड़ियों और हाथठेलों का आना मना है

बैलगाड़ियों का आना मना है

तांगो का आना मना है

हाथ ठेलों का आना मना है

साईकिलों का आना मना है

पदयात्रियों का आना मना है

दाएं मुड़ना मना है

बाएं मुड़ना मना है

वापस मुड़ना (यू-टर्न) मना है

ओवरटेकिंग (आगे निकलना) मना है

हॉर्न बजाना मना है

चौड़ाई सीमा

ऊंचाई सीमा

लम्बाई सीमा

भार सीमा

एक्सल भार सीमा

गति सीमा

गाड़ी खड़ी करना मना है

गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है

बाएं मुड़ना अनिवार्य (दाएं यदि संकेत विपरीत है)

आगे चलना अनिवार्य (केवल आगे)

दाएं मुड़ना अनिवार्य

आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य

आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य

बाएं रहकर चलना अनिवार्य

अनिवार्य साईकिल मार्ग

हॉर्न बजाना अनिवार्य

अनिवार्य न्यूनतम गति

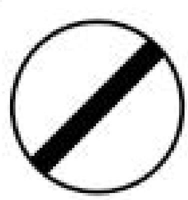
रोक समाप्ति चिन्ह

(ii) चेतावनी चिन्ह – ये सड़क की दशा के बारे में पहले से चेतावनी देते है।

दाहिना मोड़

बायां मोड़

दाहिना घुमावदार मोड़

बायां घुमावदार मोड़

दाहिने मुड़कर फिर आगे

बाएं मुड़कर फिर आगे

खड़ी चढ़ाई

सीधी ढलान

आगे रास्ता संकरा है

आगे रास्ता चौड़ा है

संकरा पुल

फिसलन भरी सड़क

बिखरी बजरी

साईकिल क्रॉसिंग

पैदल क्रॉसिंग

आगे स्कूल है

यातायात संकेतक

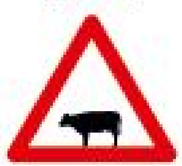
पशु

नौका

पत्थर लुढ़कने की संभावना

खतरनाक गहराई

उभार या ऊबड़-खाबड सड़क

आगे अवरोध है

मध्य पट्टी में अंतर

बायीं ओर पार्श्व सड़क

दाहिनी ओर पार्श्व सड़क

टी-तिराहा

वाई-सड़क संगम

वाई-सड़क संगम

विषम सड़क संगम

विषम सड़क संगम

गोल चक्कर

घाट या नदी का किनारा

आदमी काम कर रहे हैं

चौराहा

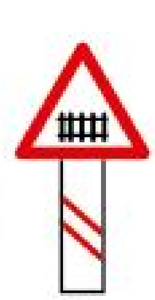

रक्षित समपार क्रॉसिंग

मानव रहित समपार

(iii) सूचनात्मक सड़क चिह्न - यह जगह, दिशा एवं सुविधाओं के बारे जानकारी देते है।

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिह्न

स्थान पहचान चिह्न

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिह्न (दूरी सहित)

गोलचक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का

दिशा चिह्न

प्रमाणित चिह्न

सार्वजनिक टेलीफोन

पेट्रोल पंप

अस्पताल

प्राथमिक उपचार केन्द्र

भोजन स्थान

अल्पाहार
(जलपान)

विश्राम स्थल

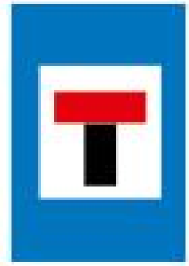

सड़क बंद है

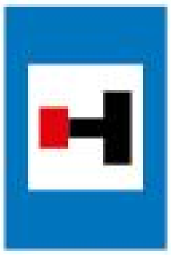

सम्पर्क में सड़क बंद

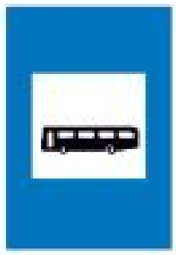

बस स्टॉप

रेलवे स्टेशन

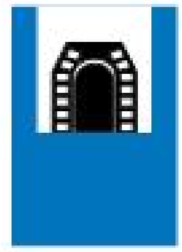

आगे सुरंग है

दोनों दिशाओं
में गाड़ी खड़ी
करने की जगह

साईकिल
खड़ी करने
की जगह

साईकिल रिक्शा
खड़ा करने
की जगह

स्कूटर व मोटर
साईकिलें खड़ी
करने की जगह

पैदलपथ सबवे

टैक्सियां खड़ी
करने की
जगह

ऑटो रिक्शा
खड़ा करने
की जगह

दुर्घटना के मुख्य कारण

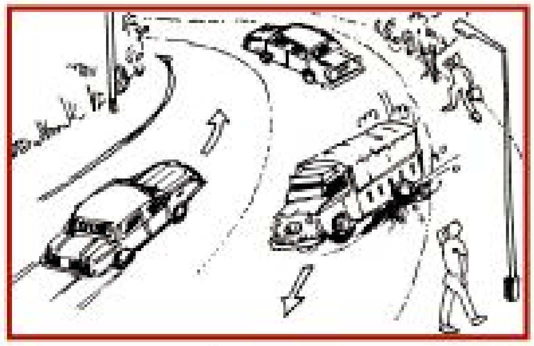

तेज गाड़ी चलाना – बहुत सी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज गाड़ी चलाना है। ऐसी कोई भी स्पीड (चाहे कितनी भी कम क्यों न हो) जिससे ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल न रख सके, खतरनाक साबित हो सकती है। सुरक्षित स्पीड, सड़क की हालत, गाड़ी की दशा, मौसम, ओवरलोडिंग, ड्राइवर की थकावट या मानसिक हालत वगैरह पर निर्भर करती है।

अत्यधिक गति अत्यधिक खतरा लाती है जिसका परिणाम भी होता है। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित अधिकतम राष्ट्रीय गति सीमा कि.मी. प्रति घंटा में निर्धारित कर दी गई है। वाहन सुरक्षा के साथ गति सीमा में ही चलायें। अधिकतम गति सीमा जानने के लिये नीचे दी गई तालिका को देखें:–

क्र.सं.	मोटर वाहनों के वर्ग	किमी. में प्रति घण्टा अधिक गति
1.	ड्राइवर की सीट के अलावा 9 या अधिक यात्रियों को ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन	80
2.	ड्राइवर की सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों को ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन	100
3.	माल ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन	80
4.	क्वाड्रीसाइकिल	70
5.	तिपहिया वाहन	60
6.	मोटर साइकिल	80

आगे की गाड़ी से सही दूरी न रखना – किसी भी गाड़ी को किसी भी स्पीड पर रूकने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। ब्रेक लगाते ही कोई भी गाड़ी एकदम से रूक नही सकती है। अगर आगे वाली गाड़ी से स्पीड के मुताबिक दूरी न रखी जाए तो उसके ब्रेक लगाने पर आपकी गाड़ी उससे टकरा सकती है।

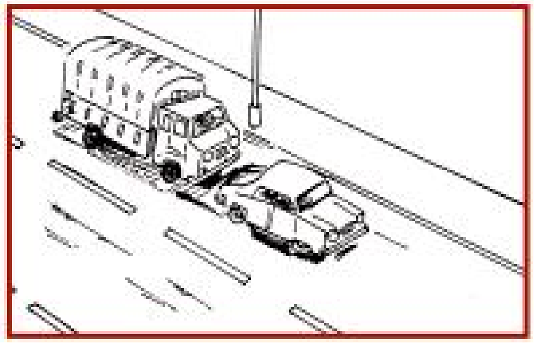

अपनी लेन में न चलना – सड़क के बाएँ हिस्से में अपनी गाड़ी न रखकर या सड़क के बीचो–बीच गाड़ी चलाकर, आप सामने से आने वाले ड्राइवरों मे घबराहट पैदा कर सकते हैं, जिससे ऐक्सीडेंट हो सकता है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है, जबकि कोई ड्राइवर जल्दी में किसी दूसरी गाड़ी को खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करता हैं।

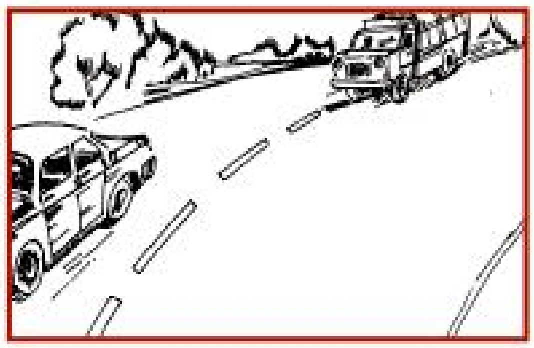

खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना – गलत तरीके से ओवरटेक करना ऐक्सीडेंट का एक मुख्य कारण है। मोड़ पर, पहाड़ी सड़क पर जहाँ से आगे दिखायी न देता हो, या जब सामने से आने वाली गाड़ी नजदीक हो तो कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश न करें। इससे आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है या सड़क से उतर सकती है।

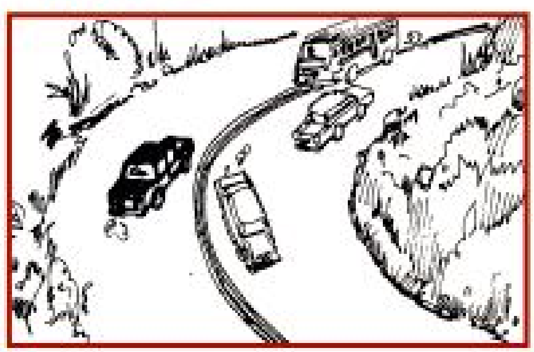

किसी बेचारे साइकिल सवार या पैदल चलने वाले की जान भी जा सकती है। रात के समय तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है।

ऐक्सीडेंट होने पर ड्राइवर की जिम्मेदारी –

किसी भी गाड़ी से ऐक्सीड़ेट होने पर, जिसमें किसी व्यक्ति या जानवर को चोट आयी हो या गाड़ी या माल का नुकसान हुआ हो, उस गाड़ी के ड्राइवर को जख्मी लोगों की हर तरह से मदद करनी चाहिए और नजदीक के पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अन्दर रिपोर्ट करनी चाहिए।

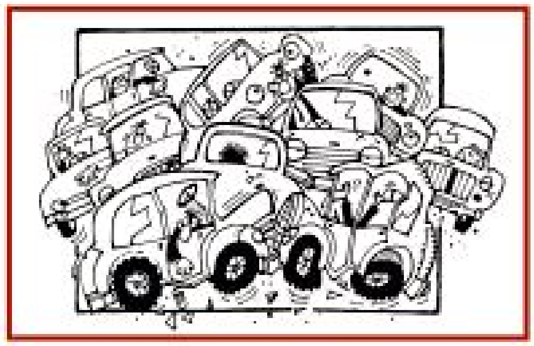

क्या करना चाहिए........

- गाड़ी रोक कर घायलों की मदद करनी चाहिए।
- अगर खतरनाक माल से लदी हुई गाड़ी का ऐक्सीडेंट हुआ हो, तो सब लोगों को गाड़ी से दूर भेज दें।
- किसी को भी 100 मीटर की दूरी के अन्दर सिगरेट, वगैरह न पीने दें। गाड़ी पर लिखे आदेशों/सूचना के अनुसार कार्य करें।
- गवाहों के नाम व पते लिख लें। दुर्घटना की जगह से गुजरनेवाली गाड़ियों के नम्बर, वगैरह नोट कर लें। बाद में यह कानूनी कार्रवाई के समय आपकी सहायता कर सकते हैं।
- यदि दुर्घटना की जगह पर कोई पुलिस कर्मचारी आए तो उसका विवरण भी नोट कर लें।

क्या नहीं करना चाहिए..........

- गाड़ी को ऐक्सीडेंट की जगह से तब तक न हटाया जाए जब तक
    - कोई पुलिस अधिकारी इसकी इजाजत न दे।
    - जख्मियों की जान बचाने के लिए गाड़ी को हटाना जरूरी न हो।
    - आग लगने का खतरा न हो।
    - दूसरे ट्रैफिक को निकालने के लिए गाड़ी हटाना जरूरी न हो।
- ऐक्सीडेंट की जगह पर दूसरे लोगों के साथ बहस में न पड़े।
- सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित की मदद करने से न घबराएं

ड्राइवर और नशा

शराब के बारे में सच्चाई – शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में बहुत सी गलत धारणाएँ हैं। ऐसा ड्राइवर जो इनमें विश्वास करता है, वह खुद के साथ धोखा करता है और अगर अभी तक वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ा, तो किस्मत का धनी है।

गलत धारणा	सही धारणा
× शराब आप की गाड़ी चलाने की क्षमता को बढ़ाती है।	✓ शराब आपकी चुस्ती और सोचने की शक्ति को कम करती है और आपको अपनी गलतिया दिखाई नहीं देती और आप समझने लगते है कि आप गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे है।
× कुछ लोगों पर ज्यादा शराब पीने का कोई असर नहीं होता।	✓ शराब का सभी पर असर होता है। सच्चे दिल से खुद से पूछिये कि आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है?
× अगर पहले आप बहुत सा खाना खा लें, तो आप पर शराब का असर नहीं होगा।	✓ पेट भरा होने से नशा धीरे–धीरे चढ़ता है। शराब के असर में कोई कमी नहीं होती।

×	चाय, कॉफी पीने पर और ताजा हवा से नशा कम हो जाता है।	✓	सिर्फ समय ही नशा कम करता है बाकी तो सब दिल बहलाने के बहाने है।
×	बीयर पीकर गाड़ी चलाने में कोई हर्ज नहीं है।	✓	बीयर की कुछ बोतलें, व्हिस्की या दूसरी शराब के कुछ गिलासों के ही बराबर है। बीयर ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे सुस्ती भी आती है।

नशे का दिमाग पर असर –

शराब सबसे पहले दिमाग के उस हिस्से पर असर करती है जो आपके सोचने और समझने की शक्ति रखता है।

जैसे–जैसे शराब की मात्रा बढ़ती है, आँखों से साफ दिखना कम होता जाता है, सूझ–बूझ जाती रहती है और आखिर में होश नहीं रहता।

नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली गलतियाँ होती है, जैसे :

- बहुत तेज गाड़ी चलाना।
- गलत लेन में गाड़ी चलाना।
- दो लेनों के बीच चलाना।
- तेज, झटके के साथ अचानक गाड़ी स्टार्ट करना।
- सिग्नल दिये बिना गाड़ी मोड़ना।
- रूकने के संकेत और लाल बत्तियों की परवाह न करना।
- तेजी से छोटी सड़कों से मुख्य सड़क पर निकल आना।
- गाड़ी को सड़क से उतारकर कच्चे रास्ते पर चलाना।

शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध है। पकड़े जाने पर शराबी ड्राईवर को जुर्माना या कैद, या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, लाइसेंस भी कम से कम 6 महीने के लिए सस्पेंड़ किया जाता है। बेहतर यही है कि शराब पीकर गाड़ी न चलायें।

गाड़ी चलाने के सही तरीके

ओवरटेकिंग –

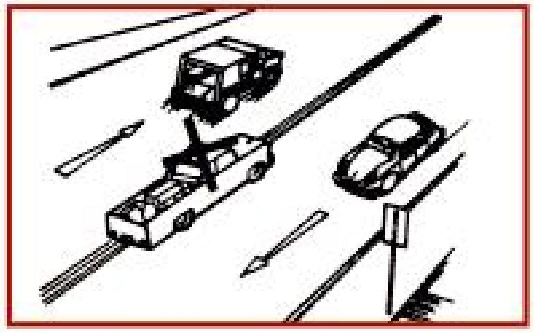

सबसे ज्यादा दुर्घटनाएँ ओवरटेक करते समय होती हैं। प्रायः सामने से आ रही गाड़ी से सीधी टक्कर हो जाती है, अथवा दूसरी गाड़ियाँ और पैदल चलने वालों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। ओवरटेक करने में बुराई नहीं है पर खतरनाक तरीके से ओवरटेक कभी नहीं करना चाहिए। तंग सड़कों पर ओवरटेकिंग कभी नहीं करनी चाहिए।

- ✓ जब तक आगे या पीछे, दोनों ओर की सड़क खाली न हो, ओवरटेक करने की कोशिश न करें।
- ✓ कोहरे या धुंध के समय ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे में स्पीड़ और दूरी का अन्दाजा लगाना मुश्किल होता है।
- ✓ बारिश के समय भी सावधान रहें। गीली सड़क और बारिश की वजह से गाड़ी कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है।

- ✓ हमेशा दांयी ओर से ओवरटेक करें। नीचे लिखे दो हालात में आप बांयी तरफ से भी ओवरटेक कर सकते हैं:
    - ○ जब आप रोटरी में हो या शहर की सड़कों में अपनी लेन में जा रहे हों।
    - ○ जब आगे चल रहे ड्राइवर ने इशारा किया हो कि वह दांयी तरफ मुड़ने जा रहा है।
- ✓ हॉर्न बजाकर या हेडलाइट जलाकर आगे चल रहे ड्राइवर को ओवरटेक करने का इरादा बतायें। जब वह ड्राइवर आप को ओवरटेक करने का इशारा दे, तभी ओवरटेक करें।

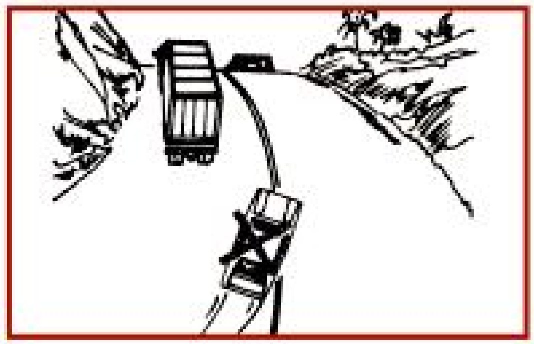

- ✓ ओवरटेक करते समय दूसरी गाड़ी के लिए काफी जगह छोड़ते हुए ओवरटेक करें।
- ✓ ओवरटेक करने के बाद, एकदम बांयी ओर गाड़ी को न ले जाएँ। सुरक्षित अन्तर रखते हुए धीरे–धीरे अपनी गाड़ी को बांयी तरफ ले जायें।

ध्यान रखें

- ➢ ऐसी गाड़ी को ओवरटेक न करें, जो पैदल चलनेवालों को राह दे रही हो।
- ➢ चौराहे या रेल्वे फाटक पर कभी भी ओवरटेक न करें।

अगर कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो......

- ✓ सामने से आ रही गाड़ियों पर ध्यान दें।
- ✓ अपनी गाड़ी की स्पीड न बढ़ाये।
- ✓ अगर ओवरटेक करती गाड़ी को ज्यादा जगह की

जरूरत हो तो अपनी गाड़ी की स्पीड कम करें। उस गाड़ी के ड्राइवर को ओवरटेक करने का साफ इशारा दें।

✓ अगर कोई ड्राइवर सामने से आ रहे ट्रैफिक की परवाह न करते हुए खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करे, तो यह बेहतर होगा कि आप सड़क के बिल्कुल बांयी तरफ अपनी गाड़ी रोक दें। अक्लगंदी इसी में है कि उसे जाने दें।

पार्किंग :

गाड़ियों को सिर्फ वहीं पार्क करे जहाँ पार्किंग पर बन्धन न हो। अगर बोर्ड पर समय, वगैरह न लिखा गया हो तो वह बोर्ड हर दिन 24 घंटों के लिए लागू है। वैसे भी किसी गाड़ी को एक स्थान पर लगातार 10 घंटे से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं है।

अगर बोर्ड पर गाड़ी टेढ़ी पार्क करने का संकेत न दिया गया हो तो गाड़ी को हमेशा सड़क के किनारे पर समानान्तर खड़ा करना चाहिये।

गाड़ी को सड़क के किनारे के जितना पास हो सके खड़ा करना चाहिये (0.6 मीटर से ज्यादा दूर नहीं)। अगर पार्किंग लाइनें लगी हों तो गाड़ी उनके अन्दर ही पार्क करनी चाहिये।

जब आप ढलान पर गाड़ी खड़ी करें तो अगले पहियों को पूरा सड़क के किनारे की तरफ मोड़ कर पार्किंग ब्रेक लगा दें। गाड़ी को हमेशा पहले या रिवर्स गियर में छोड़ें। इससे ब्रेक छूटने पर भी गाड़ी के सरकने का डर नहीं रहता।

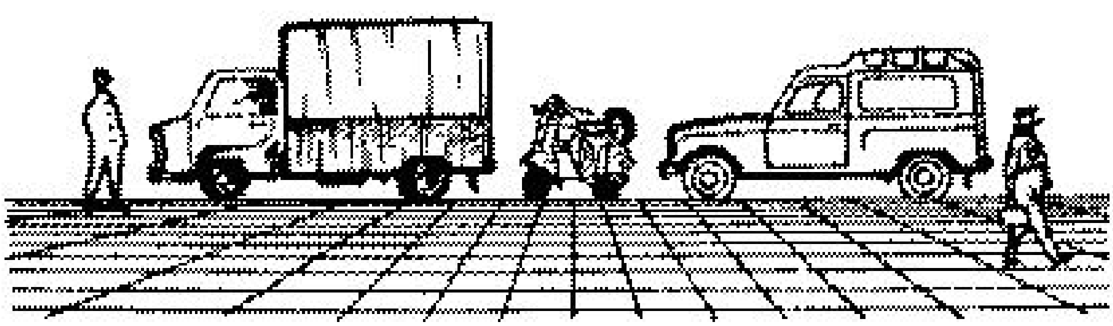

नीचे लिखी जगहों पर गाड़ी खड़ी करनी गैरकानूनी है :

- फुटपाथ, जेब्रा/क्रॉसिंग, पुल पर या सुरंग के अन्दर। किसी सड़क/हाइवे के जंक्शन पर
- किसी गेट के सामने, होटल, थियेटर, ऑफिस, अस्पताल या माल उतारने या चढ़ाने की जगह पर।
- ऐसी जगह पर या ऐसे तरीके से, जिससे पहले से खड़ी गाड़ी को निकाला न जा सके।

आमतौर पर नीचे दी गई जगहों पर भी पार्किंग पर बन्धन होता है :

सामान्यत: बरती जाने वाली सावधानियाँ

- ❖ सूरज के निकलने व डूबने के समय हेडलाइटों का उपयोग करना चाहिये। यह समय ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ड्राइवर बदलती हुई रोशनी में रंगों की पहचान वगैरह नही कर पाता। स्पीड व दूरी का सही अनुमान भी नहीं लग पाता।
- ❖ सभी बत्तियाँ साफ रखनी चाहिये तथा हेडलाइटों का खास ख्याल रखना चाहिये। इसका ध्यान रखें कि दूसरे ड्राइवरों की आँखें न चौंधिया जाएँ।
- ❖ गाड़ी को कन्ट्रोल में चलायें और स्पीड़ ज्यादा न बढ़ायें ताकि जरूरत पड़ने पर गाड़ी आराम से रोकी जा सके।
- ❖ ओवरटेक करने के लिए पहले हेडलाइट ऊपर–नीचे करके आगे की गाड़ी को सावधान करें। रास्ता साफ देखकर और लाइट नीची करके ओवरटेक करें। ओवरटेक होती गाड़ी को भी अपनी हेडलाइट तब तक नीची रखनी चाहिए जब तक ओवरटेक कर रही गाड़ी गुजर नहीं जाती, ताकि ओवरटेक कर रहे ड्राइवर की आँखे चौंधिया न जाएँ।
- ❖ **अगर बारिश या धुँध की संभावना हो तो :**
  - ○ चलने से पहले वाइपर चेक करें कि वे काम कर रहे हैं कि नहीं।
  - ○ खिड़कियों के शीशे और विंडस्क्रीन को चलने से पहले साफ करें और सफर के समय जब भी मौका मिले इनको साफ करते रहिये।

✓ शहरों और कस्बों में गाड़ी की हेडलाइट नीची करके चलें। जहाँ पर तेज रोशनीवाली बत्तियाँ हों, वहाँ सिर्फ पार्किंग लाइटों का इस्तेमाल करें।	अगर एक बत्तीवाली गाड़ी आप की तरफ आ रही हो तो सावधान रहें। यह न सोच लें कि आनेवाली गाड़ी

- ✓ जब आप तेज रोशनीवाली जगह से गाड़ी निकालकर अन्धेरे में ले जाएँ, तो अपनी स्पीड तब तक न बढ़ाएँ जब तक आपकी आँखें अन्धेरे में ठीक तरह से देखना शुरू न कर दें।
- ✓ हाइवे पर हेडलाइट की पूरी रोशनी का इस्तेमाल करें और सामने से आती हुई गाड़ियों के लिए अपनी हेडलाइट नीची (डिपर मार कर) करें। अगर हेडलाइट नीची करने पर भी सामने से आनेवाली गाड़ियाँ अपना डिपर बार–बार मारें तो इसका मतलब है कि आपकी हेडलाइट आने वाली गाड़ियाँ को परेशान कर रही है। उनको चेक करायें।

मोटर–साइकिल ही है। यह एक चार–पहिएवाली गाड़ी, जिसकी सिर्फ एक हेडलाइट काम कर रही हो, भी हो सकती है।

अगर आपकी आँखें चौंधिया जाएँ, तो गाड़ी की स्पीड कम करें या तब तक रूक जाएँ जब तक दुबारा ठीक से दिखने न लगे।

अंधेरे में या कम रोशनीवाली जगह पर गाड़ी पार्क करते समय पार्किंग लाइट जलती रहने दें।

धुंध या भारी बारिश में गाड़ी चलाना खतरनाक है। अगर बहुत ही जरूरी हो तो गाड़ी को बहुत धीरे चलाएँ और हेडलाइट नीची रखें।

बाढ़वाले / पानी भरे रास्ते पर गाड़ी चलाना :

- सड़क के बीच में ही गाड़ी चलायें। पानी ज्यादा होने के कारण सड़क के किनारे दिखाई नही देते और गाड़ी का गहरे पानी में गिरने का खतरा रहता है।
- अगर गाड़ी खड़ी करनी हो,तो सड़क के बाएँ हिस्से में ही खड़ी करें, पक्की सड़क से गाड़ी न उतारें।
- अगर सड़क पर कीचड़ होतो टायरों की पकड़ कम हो जाती है, जिससे फिसलने का डर रहता है। इसलिए गाड़ी धीरे चलायें।

- टायरों की पकड़ कमजोर हो तो रूकने के लिए ज्यादा दूरी चाहिये। इसलिये आगे वाली गाड़ियों से काफी दूरी पर गाड़ी चलायें।
- शहरी सड़कों पर खुले या खराब गटर हो सकते हैं। इनका खास ध्यान रखें और गाड़ी सावधानी से चलाएँ।
- पैदल चलती जनता का ध्यान रखें। उन पर पानी के छीटें न पड़ने दें।
- कभी भी किसी पानी में डूबे हुए पुल या कल्वर्ट को पार करने की कोशिश न करें। पुल या कल्वर्ट टूटा हो सकता है।

पानी भरे हुए रास्तों से गुजरते समय नीचे दिये गये कदम उठायें :

✓ पानी में घुसने से पहले ही गाड़ी को पहले या दूसरे गियर में ले आयें।

✓ गहरे पानी में गाड़ी हो तो कभी भी गियर न बदलें।

✓ अपनी स्पीड को क्लॅच से कन्ट्रोल करें और एक्सलरेटर दबा कर रखें ताकि एक्जॉस्ट पाइप में पानी न घुस जाए। अगर इस पाइप में पानी चला जायेगा, तो इंजन बन्द हो जायेगा।

✓ पानी पार करने के बाद ब्रेक कई बार दबायें ताकि ब्रेक–ड्रम व ब्रेक–शू सूख जायें। जब तक ब्रेक गीले रहते हैं वे ठीक से काम नही करते।

धुन्ध में गाड़ी चलाना :

- गाड़ी धीरे चलाएँ। स्पीड़ इतनी हो कि जरूरत पड़ने पर गाड़ी एकदम रोकी जा सके।
- धुंध के कारण साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए जरूरी है कि आप गाड़ी की हेडलाइट या फॉग लेम्प को जला कर रखें, ताकि सामने से आनेवाली गाड़ियों के ड्राइवर आपकी गाड़ी को साफ देख सकें।
- विंडस्क्रीन को वाइपर चलाकर और दोनो तरफ के शीशों

को कपड़े से जितनी बार हो सके, साफ करते रहें।

- आगे चल रही गाड़ी की बत्तियों का सहारा लेकर उसके पीछे नजदीक होकर चलने की कोशिश न करें।
- रात की धुंध में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर जाना जरूरी हो तो अपने सफर के लिए ज्यादा समय रखें जल्दबाजी न करें।
- अपनी गाड़ी की स्पीड़ कम रखें, क्योंकि धुन्ध की सही स्पीड का अल्दाजा लगाना मुश्किल होता है। पीछे से आती हुई गाड़ियों की वजह से अपनी गाड़ी की स्पीड न बढ़ाएँ

चेतावनी

याद रखें कि धुन्ध तेजी से छँट सकती है। कभी–कभी ऐसा लगता है कि धुंध छँट रही है, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि धुंध किसी भी वक्त अचानक दुबारा गहरी हो सकती है। अगर ऐसा हो तो अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाने से पहले पीछे आ रहे ट्रेफिक का ध्यान रखें।

पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना :

सफर शुरू करने से पहले अपनी गाड़ी की ब्रेकों की अच्छी तरह जाँच करें। पहाड़ी इलाकों में गाड़ी को हमेंशा सही गियर में रखें। तेज चढ़ाई या ढलान शुरू होने से पहले ही गाड़ी सही गियर में लायें, जिससे चढ़ाई या ढलान के बीच में गियर बदलना न पड़े।

- पेट्रोल/डीजल बचाने या इंजन ठंडा करने के लिए कई ड्राइवर इंजन बन्द कर देते हैं या न्यूट्रल में डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत खतरनाक है। इससे आप की गाड़ी कन्ट्रोल से बाहर हो सकती है।
- चढ़ाई चढनेवाले ट्रेफिक को पहले रास्ता दें।

- भारी लदी हुई गाड़ियों को भी पहले रास्ता दें क्योंकि ऐसी गाड़ियों के सड़क से उतरने पर दुर्घटना हो सकती है।
- ट्रैफिक के सभी साइन बोर्डो पर लिखी चेतावनी का पालन करें और सभी तेज मोड़ों पर हॉर्न का इस्तेमाल करें।
- मोड़ो पर या भारी चढ़ाई पर कभी ओवरटेक करने की कोशिश न करें।
- रात के समय हर मोड़ पर डिपर का इस्तेमाल करते हुए हेडलाइटों को ऊंची–नीची करें और सामने से आ रही गाड़ियों को हेडलाइट नीची करके ही पास करें।
- गाड़ी को पहाड़ी सड़क पर खड़ी करते समय हैण्ड–ब्रेक के साथ–साथ पहियों के नीचे लकड़ी का गुटका या पत्थर वगैरह भी लगा दें। इससे गाड़ी के सरकने का खतरा नहीं रहता। लेकिन गाड़ी हटाते समय पत्थर वगैरह को सड़क के बिल्कुल किनारे करना न भूलें।
- पहाड़ी इलाकों में नाले बहुत खतरनाक हो सकते है। भारी बारिश या जमीन के खिसकने से अचानक बाढ़ आ सकती है। इसलिए पहाड़ी नदियों व नालों से गुजरते हुए रास्तों पर बहुत सावधान रहें।

स्वर्णिम नियम :

किसी भी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए जो गियर इस्तेमाल किया जाता है, उतरने के लिए भी उसी गियर का इस्तेमाल करें। अच्छा कन्ट्रोल रखने के लिए सही गियर में रहें ताकि ब्रेकों का ज्यादा इस्तेमाल न करना पड़े, क्योंकि ज्यादा ब्रेक लगाने से ब्रेक गर्म होकर काम करना बंद कर देती है।

रास्ते का अधिकार

यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि कोई भी कानून ड्राइवर को रास्ते पर पूरा अधिकार नहीं देता। रास्ते का अधिकार एक ऐसी चीज है जो ली नहीं, बल्कि दी जाती है। अगर दूसरा ड्राइवर नियमों का पालन नही कर रहा है तो आप उसे रास्ता दे दें, चाहे उस रास्ते पर पहला हक आपका ही क्यों न हो। आप अपने रास्ते पर सही तरह से चलें। एक समझदार, सभ्य और सावधान ड्राइवर को अपने व दूसरों के हित के लिये नीचे दी गई बातों का ध्यान रखना चाहिए

- जब आप किसी भी चौराहे पर आएँ (इन में ऐसे चौराहे भी शामिल है जहाँ सिग्नल या ट्रेफिक–बत्तियाँ नहीं हैं) तो अपने दाएँ चल रहे सभी ट्रेफिक को रास्ता दें।
- जब आप दाएँ या बाएँ मुड़ रहे हों तो सीधी जा रही गाड़ियों को रास्ता दें।
- किसी भी इतारत (जैसे : घर, ऑफिस, होटल, थियेटर वगैरह), प्राइवेट रोड या किसी दूसरी छोटी सड़क से बाहर निकलते हुए, थोड़ा रूक कर ही किसी फुटपाथ को पार करें या मेन रोड़ में प्रवेश करें। सामने से आने वाली गाड़ियों या पैदल चल रहे लोगों को पहले रास्ता दें।
- गोल चक्कर (रोटरी) पर ऐसी गाड़ियों को जो पहले ही गोल चक्कर में हों, गुजरने का पहला हक है। गोल चक्कर में दायें चल रहें ड्राइवर को रास्ता देना चाहिए।
- जलते–बुझजे लाल सिग्नल पर गाड़ी को बिल्कुल रोक दें। रास्ता साफ देखें और फिर आगे बढ़ें।

शराब व नशीली वस्तुओं का मत कर सेवन
नहीं तो व्यर्थ गंवा देगा जीवन...!!

सड़क सुरक्षा के उपाय

दुर्घटनामुक्त, बाधामुक्त और आरामदायक यात्रा के लिए रक्षात्मक ड्राइविंग करना बहुत जरूरी है। वैसे हर कोई यही मानता है कि वह अच्छी तरह ड्राइविंग करता/करती है, लेकिन ऐसी कई छोटी–मोटी बातें है, जिन्हें हर ड्राइवर को समझना और उनका पालन करना चाहिए। ऐसी कुछ मुख्ये बाते नीचे दी गई है :

बुनियादी बातें :

हमेशा सीट बेल्ट या हेल्मेट पहनें। वाहन पर सवार सभी व्यक्तियों को बेल्ट या हेल्मेट पहनना चाहिए। यह याद रखें कि सीट बेल्ट और हेल्मेट पहनने से जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम आधा हो जाता है तथा बडी चोटें लगने की संभावना कम रहती है।

वाहन की हमेशा जांच कर लें, विशेषकर लंबी यात्रा शुरू करने से पहले। इसकी जांच कर लेना आवश्यक है कि जरूरी कागजात, आपातकालीन सहायता और बुनियादी जरूरत की चीजें वाहन में मौजूद हों।

यात्रा शुरू करने से पहले वाहन के सभी नियंत्रक उपस्करों की जानकारी रखें, क्योंकि कई ड्राइवर अत्याधुनिक एवं नये जमाने के नियंत्रक उपस्करों का इस्तेमाल करना नही जानते।

- वाहन चलाते समय सभी नियमों एवं कानूनों का पालन करें। इसमें सड़कों के संकेतों और निशानियों की जानकारी भी शामिल है।
- गोल संकेत अनिवार्य संकेत होते है और उनका पालन न करने पर दण्ड/जुर्माना लग सकता है। त्रिकोणीय संकेत सावधानी के संकेत होते है, जो सड़क के 50 से 100 मीटर आगे तक हालात बदलने की तरफ इशारा करते हैं और आयताकार संकेत जानकारी देनेवाले संकेत होते हैं
- दिशा–संकेत समय रहते देने चाहिए। दिशा–संकेत कम से

कम 10 सेकेंड पहले देने का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

- सहयात्रियों से बात करते समय सिर को कभी न घुमाएं। इससे आपका सडक से ध्यान हटने पर, फिर से ध्यान केंद्रित करने या कोई निर्णय लेने में देर हो सकती है।
- यहाँ तक सम्भव हो सडक पर दायी लेन खाली छोड दे जिससे ओवर टेकिंग करने वाले चालकों को आसानी हो।
- घाट वाले इलाकों में पहले सडक पर ऊपर की तरफ आनेवाले वाहनों को जाने देना चाहिए। ऊपर आने वाले वाहनों की गति सहज बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है ऊपर आनेवाले वाहन को संभालना जोखिमभरा हो सकताहै। इसके अलावा, भारी वाहनों को पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना और भी मुश्किल होता है।

पीछे का दृश्य दिखाने वाले आईने (रियर व्यू मिरर) :

- यात्रा शुरू करने से पहले, पीछे का दृश्य दिखाने वाले आईने ठीक कर लें। बगल का पीछे का दृश्य दिखाने वाला आईना इस तरह से लगा होना चाहिए कि 65% हिस्सा पीछे की सडक का और 35% हिस्सा वाहन का दिखना चाहिए। याद रहे, बगल के आईने आभासी प्रकृति के होते है और पीछे दिखने वाली वस्तु दरअसल और भी नजदीक हो सकती है।
- 1–2 मिनटों के बाद रियर व्यू मिरर में जरूर देखते रहना चाहिए। रक्षात्मक ड्राइवरों को तीनों रियर व्यू मिरर पर नजर रखने आदत होनी चाहिए।

सुरक्षित दूरी बनाए रखना :

- हमेशा 2 सेकेंड का नियम बनाकर रखें। आपसे आगे चल रहे वाहन के अचानक रूक जाने पर, रूकने के दूरी का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है, जिससे आगे के वाहन या अन्य किसी चीज से टक्कर हो सकती हैं इस नियम के अनुसार,

अपने आगे के वाहन से कम से कम 2 सेकेंड के अंतराल से पीछे रहें। चूंकि दो सेकेंड तय करना मुश्किल होता है, इसलिए आगे के वाहन को किसी पेड़ या स्थिर चीज से आगे जाने दें और फिर 1001 और 1002 गिनें। अगर आप 1001 और 1002 गिनने से पहले ही उस पेड या स्थिर चीज से आगे निकल जाते है, तो समझिए कि आप आगे के वाहन से बहुत नजदीक है। अगर आप 1001 और 1002 गिनने के बाद उस पेड या स्थिर चीज के आगे निकलते है, तो समझिए कि आप दोनो वाहनो के बीच सुरक्षित दूरी बनाए हुए है। अगर मौसम खराब हो (बारिश या कोहरा) तो सुरक्षित दूरी 3 या 4 या उससे भी ज्यादा सेकेंड की होगी।

टायर :

- टायर की पकड 1.6 मिमी गहरी होनी चाहिए, नहीं तो खासकर बारिश में वाहन चलाना मुश्किल हो सकता है। हमेशा निर्धारित टायर प्रेशर बनाए रखें।
- हर 10–12 दिनों में टायर प्रेशर की जांच कर लेनी चाहिए। ज्यादा चपटे या ज्यादा उथले टायर खतरनाक हो सकते है।
- टायर मे हवा का दबाव सही रखना चाहिये, ज्यादा या कम दबाव रखने से गाडी पलटने की ज्यादा सम्भावना और अधिक थकावट हो सकती है।

आगे निकलना (ओवरटेकिंग) :

- खासकर राजमार्गो पर ओवरटेकिंग दाएं से करनी चाहिए। सुरक्षित ओवरटेकिंग के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए।
- एक बार में 2 या उससे अधिक वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश न करें। यह खतरनाक हो सकता है।
- किसी पुल, अंधे मोड, आडे–तिरछे मार्ग और घाट पर ओवरटेक करने की कोशिश कभी न करें । यह बहुत ही

खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गलती होने पर वहां बचने का कोई रास्ता नहीं होता।

उकताहट और थकान :

- यात्रा में नियमित रूप से अंतराल होने चाहिए। लंबी यात्रा के लिए, ड्राइवर को अपना शरीर सहज बनाने के लिए 2–3 घंटो के लिए रूकना चाहिए। यह ड्राइविंग की उकताहट या थकावट कम करने के लिए जरूरी भी है।
- लंबी दूरी की ड्राइविंग से पहले अच्छी नींद ले लें। नींद में कमी को कॉफी, पेय पदार्थ या अन्य दवा–दारू से पूरी नहीं किया जा सकता।
- अगर नींद आने का अहसास हो, तो अपने शरीर को बेवजह तकलीफ न दें। ड्राइविंग बंद करें और वाहन को किसी सुरक्षित जगह में पार्क करें।
- भोजन में भारी/तेलयुक्त खाना न लें। भारी खाने से ड्राइवर को सुस्ती आने के कारण सड़क से ध्यान हट जाता है। इससे सड़क दुर्घटना हो सकती हैं।

मोबाईल फोन :

- इंजिन चालू–मोबाईल बंद।
- ड्राइविंग करते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल कभी न करें बातचीत से आपका ध्यान बंट सकता है और इससे ड्राइविंग पर बुरा असर पड़ सकता है।
- ईंधन भरते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल कभी न करें। यह खतरनाक हो सकता है।

नशा करके ड्राइविंग करना :

- मोटर वाहन अधिनियम की धारा के अनुसार शरीर के प्रति

100 मि.ली. खून में 30 मि.ग्रा. से ज्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए, जो बीएसी का करीब 0.03ः होता है। 0.03ः से ज्यादा मात्रा होने पर कानूनन सजा दी जा सकती है।

- अल्कोहल प्रतिक्रिया समय में बदलाव लाता है, जिससे अपेक्षित कार्यवाही में देरी होने से हादसे हो सकते हैं।

दूरदृष्टि :

- खतरों पर नजर रखें। स्थिर या गतिशील खतरें को नजर अंदाज करने से दुर्घटना हो सकती है।
- सड़क पर ज्यादा ध्यान देने और दिखाने की कोशिश करें। अपने इरादो को स्पष्ट करने कि लिए, सड़क पर मौजूद सभी अन्य वाहनों वगैरहा को समय रहते संकेत दें। दुपहिया सवारों को साफ तौर पर नजर आने के लिए रंगीन कपड़े और रंगीन चमकीला हेल्मेट पहनना चाहिए।
- आपातकालीन स्थिति में बचाव के रास्ते नजर में रखें। ड्राइविंग करते समय सभी परिस्थितियों जैसे रास्ते, ट्रैफिक मौसम गाड़ी और अपने शरीर का ख्याल रखें।
- भारी वाहनों से बचकर गाड़ी चलाये ध्यान रहे कि आपकी गाड़ी छोटी होने की वजह से बडी दुर्घटना का शिकार हो सकती है।

अन्य उपयोगी सावधानियां :

- किसी चौराहे पर पहुंचते समय हमेशा अपने पैर ब्रेक पर रखें। इससे आपातकालीन स्थिति में तत्काल रूकने में मदद मिलेगी (कोई प्रतिक्रिया समय नही)।
- अच्छे वाहन–चालन के तौर पर मुडते या लेन बदलते समय एम.एस.एम. नियम का उपयोग करें। एम.एस.एम. का मतलब है यात्रा के दौरान मिरर–संकेत–उपाय के जरिए बदलाव करना।

- पीली बत्ती का मतलब होता है कि जल्द ही लाल बत्ती आने वाली है। पीली बत्ती केवल 3 सेकेंड़ के लिए आती है। इसलिए एक अच्छा ड्राइवर होने के नाते, अगर आपके पास पर्याप्त जगह और समय हो तो रूक जाना ही बेहतर होगा
- अगर वाहन में गुरूत्व का केन्द्र ज्यादा ऊपर हो तो उसके पलटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए कैरियर पर सामान को समांतर (हॉरिजोन्टल) हालत में रखना चाहिए।
- मोड़ पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वाहन पर अपकेन्द्रित बल का दबाव पड़ने से वह सड़क के दूसरे किनारे तक फिसल सकता है और यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
- हर सुरक्षित ड्राइवर के लिए पूर्वानुमान और ध्यान केंद्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
- तेज रफ्तार से सड़क पर हादसे बढ़ जाते है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वाहन को सहज रफ्तार पर चलाएं, जिससे उसे काबू में करने और रोकने में बहुत आसानी हो जाती हैं।
- यह सलाह दी जाती है कि वाहन के आगे और पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव चमकदार/रंगीन टेप लगाएं। इससे खासकर रात में वाहन नजर आने में काफी मदद मिलती है।
- राजमार्ग पर वाहन खड़ा करते समय हमेशा उसे सड़क से थोड़ा दूर रोशनीयुक्त जगह में खड़ा करें।
- सड़क पर झड़प से बचें। ऐसे कई मामले हुए है जिनमे सिर्फ चिढकर की गई कार्यवाही या किसी को भड़काने से ही झडप हो जाती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें।

सड़क सुरक्षा हेतु वाहन का उचित रखरखाव एवं ईंधन की बचत

ईंधन बचत के वास्तविक तथ्य

- वाहन का असंतोषजनक रख–रखाव ईंधन की खपत 20 प्रतिशत तक अधिक हो सकता है।
- कुशल चालक अकुशल चालकों के मुकाबले 30 प्रतिशत तक बेहतर ईंधन की बचत करते है।
- 90 किमी. प्रति घण्टा चलने वाले वाहन, 60 किमी. प्रति घण्टा चलने वाले वाहनों से अधिक ईंधन की खपत करते हैं।
- विशेष उपयोग के लिये सही मॉडल और सही किस्म के वाहन का चयन करने पर ईंधन की खपत बढ सकती है।
- यदि वाहन 60 किमी प्रति घण्टा चल रहा हो तो न्युनतम ईंधन की खपत होती है।
- जब वाहन स्थिर हो तब ईंजन चालू रखने पर 2 लीटर प्रति घण्टे की दर से डीजल व्यर्थ जल जाता है।
- ईंधन की एक बूँद प्रति सेकण्ड का नुकसान 2000 लीटर प्रति वर्ष के बराबर है।
- यदि वाहन से काला या धूसर दिखाई देने वाला धुंआ निकलता है तो वाहन 10 प्रतिशत तक अधिक डीजल खपत कर सकता है।

80 किमी प्रति घण्टे से अधिक रफ्तार में वायुगतिकी घर्षण (एरोडायनेमिक ड्रैग) का वाहन की शक्ति आवश्यकताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

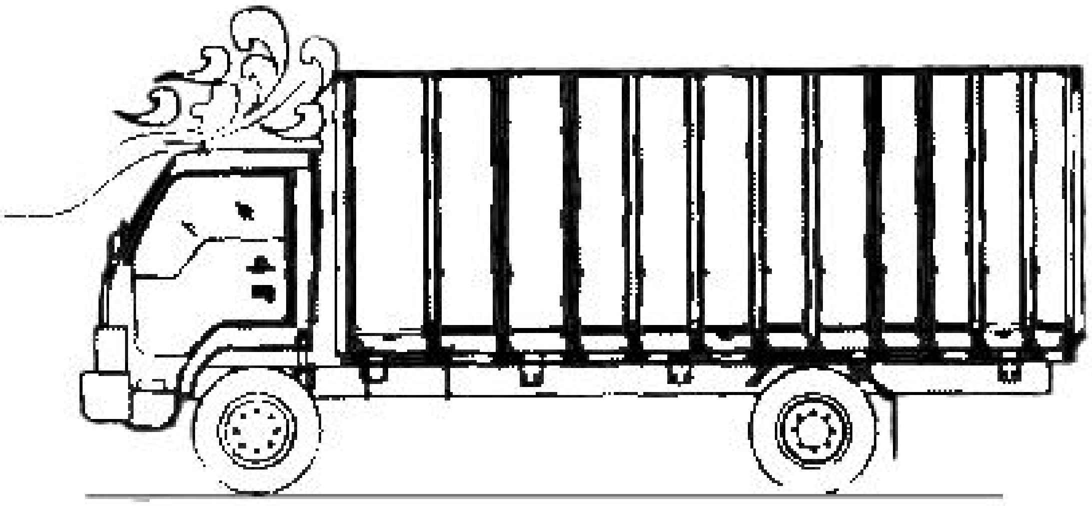

अधिक ईंधन खपत

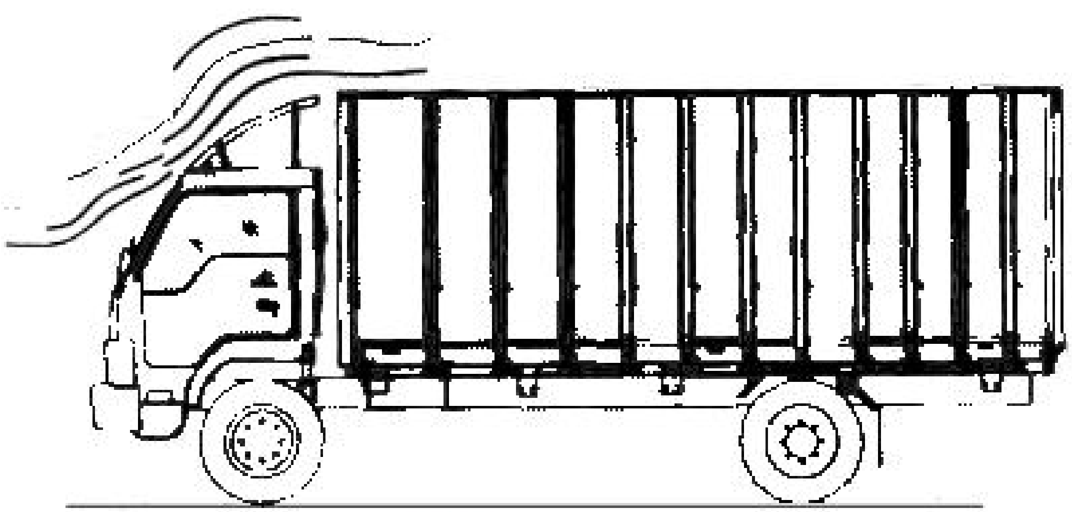

कम ईंधन खपत

वाहन चलाने से पहले की जांच

वाहन चालन से पहले की चार जांच

- ईंजन चालू करने से पहले की जांच
- चालक सीट पर बैठ कर की जाने वाली जांच
- वाहन के चारों ओर घूम कर की जाने वाली जांच
- वाहन धीमी गति से चलाते हुए की जाने वाली जांच

ईंजन चालू करने से पहले (निम्नांकित जांचे)

- इंजन तेल का स्तर – जांच करें
- शीतक (कूलेंट) का स्तर – जांच करें
- व्ही – बेल्ट्स का तनाव – जांच करें
- पवर स्टीयरिंग ऑइल का स्तर – जांच करें
- बैटरी चार्जिंग स्तर – जांच करें

चालक सीट पर बैठने पर (निम्नांकित जांच करें और एडजस्ट करें)

- चालक सीट – जांचे एवं एडजस्ट करें।
- स्टीयरिंग व्हील जांचें एवं एडजस्ट करें।
- ब्रेक पैडल की चाल – जांच करें।
- क्लच पैडल की चाल – जांच करें।
- क्लच ऑइल का स्तर – जांच करें।
- चेतावनी बत्तियां एवं गेज – जांच करें।
- पार्किंग ब्रेक – जांच करें।
- विंडशील्ड वाशर और वाइपर – जांच करें।
- हॉर्न – जांच करें।
- रियर व्यू मिरर – जांचे एवं एडजस्ट करें।

- सीट बेल्ट लॉकिंग और अनलॉकिंग – जांच करें।

वाहन के चारों ओर घूम कर (निम्नांकित जांच करें और एडजस्ट करें)

- दरवाजें, तालों की लॉकिंग और अनलॉकिंग – जांच करें।
- बत्तियां – जांच करें।
- टायर – एयर प्रेशर जांचे एवं एडजस्ट करें।
- चैसिस कमानियां – जांच करें।
- कार्गो बॉडी माउटिंग – जांच करें।
- हवा टंकी – जांच करें।
- वाटर सेपरेटर – जांच करें।
- एयर क्लीनर – जांच करें।
- ईंधन, तेल और पानी का रिसाव – जांच करें।
- पंजीयन नंबर प्लेट – जांच करें।
- एग्जॉस्ट धुंआ – जांच करें।

धीमी गति से वाहन चलाते हुए (निम्नांकितों को जांचे तथा एडजस्ट करें।)

- असामान्य आवाज – जांच करें।
- स्टीयरिंग प्रभावी है या नहीं – जांच करें।
- फुट ब्रेक प्रभावी है या नहीं – जांच करें।

नोटः–

- अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध है।

खतरनाक एवं परिसंकटमय पदार्थो के परिवहन हेतु सुरक्षात्मक ड्राइविंग

उद्देश्य:

- सुरक्षात्मक ड्राईविंग के बारे में शिक्षित करना व सड़क दुर्घटनाओं के बारे में सावधान करना।
- किसी भी तरह की आकस्मिकता की स्थिति में उचित व सही उत्तर देना।

प्रमुख बातें

1. पैट्रोलियम उत्पादों के खतरे।
2. सड़क द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में सुरक्षा।
3. परिवहन में क्या करें व क्या ना करें।
4. अग्निशामक यन्त्रों का प्रयोग व प्राथमिक चिकित्सा।
5. आपात काल में कार्यवाही।
6. लोडिंग व अनलोडिंग में सुरक्षा।
7. टैंक–ट्रक फिटिंग व उनका उपयोग।
8. परिवहन यान के साथ उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों का रख–रखाव।

1. पैट्रोलियम उत्पादों के खतरे:

- अत्याधिक ज्वलनशील होने से आग लगने का ज्यादा खतरा।
- पर्यावरण के लिए हानिकारक, हवा, पानी दूषित कारक।
- परिवहन जोखिम भरा।

- लोडिंग अनलोडिंग व परिवहन में दुर्घटना की अधिक सम्भावना।
- तेजी से फैलता व वाष्पित होता है।
- इसकी आग तेजी से फैलती है।

2. सड़क द्वारा पैट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में सुरक्षाः

- माल वाहक के पास पेट्रोलियम पदार्थ ढोने का वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
- वाहन सुरक्षित होना चाहिए, आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व सुरक्षा उपकरणों से।
- ड्राईवर द्वारा ढोऐ जा रहे पैट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
- ड्राईवर के पास निर्दिष्ट मार्ग का सही नक्शा होना चाहिए।
- ड्राईवर के पास सैंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 नियम 9 के अनुसार लाईसेंस मे पृष्ठांकन होना चाहिए।
- ट्रेम कार्ड (ट्रांसपोर्ट ईमरजेंसी कार्ड) ड्राईवर केबिन में होना चाहिए।
- आपात सूचना पैनल तीनों निर्दिष्ट स्थानों पर सुपाठ्य एवं स्पष्ट दृश्य चिन्हित होना चाहिए।
- ड्राईवर वाहन को सावधानीपूर्वक निश्चित गति सीमा में चलायें।
- ड्राईविंग के समय कम खायें व नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें।
- चलने से पहले चैक लिस्ट व केबिन का निरीक्षण अवश्य कर लें।

3. परिवहन में क्या करें | क्या ना करें

क्या करें

- हर वक्त चौकन्ना रहें ताकि दूसरों की गलती से भी बच सकें।
- सीट पर तनकर लेकिन आराम से सीधा बैठें।
- स्टेयरिंग दोनों हाथ से कस कर पकड़ें।
- ओवरटेकिंग सिग्नल देकर, जगह मिलने पर व सावधानी से दायें से करें।
- आगे वाले वाहन से सुरक्षित अन्तर रखकर चले।
- बारिश के मौसम मे व उतराई, चढ़ाई पर गाड़ी की स्पीड़ कम रखें।
- दायें मुड़ते समय सिग्नल अवश्य दें।
- रास्ते में दिये मार्ग चिन्हों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- यू–टर्न लेते समय स्पीड़ कंट्रोल में रखें।

क्या ना करें

- नींद, नशा व बीमारी की हालात में गाड़ी न चलायें।
- ड्राईविंग सीट पर ढुलमुल हालत में ना बैठें।
- स्टेयरिंग को लापरवाही से ना पकड़ें।
- बिना सिग्नल दिये व बिना पर्याप्त जगह मिले ओवरटेक न करे तथा बायें से ओवर टेकिंग ना करें।
- आगे वाली गाड़ी से मिलाकर गाड़ी न चलायें।
- बारिश में तथा ढलान व चढाई पर वाहन तेज ना चलायें।
- बिना सिग्नल दियें ना मुड़ें।
- मार्ग चिन्हों की अवहेलना ना करें।
- यू टर्न तेज स्पीड में ना लें।

4. आपात काल में कार्यवाही:

- ट्रेम कार्ड (ट्रांसपोर्ट ईमरजेंसी कार्ड) पर उल्लिखित दिशा निर्देशों का पालन करें।
- सर्वप्रथम रोड क्लीयर करने का प्रयास करें।
- आपात सूचना पैनल की सूचनाऐं उपयोग में लायें।
- निकटवर्ती पुलिस कार्यालय व अग्निशमन दल को सूचित करें।
- ट्रांसपोर्टर व माल भेजने वाले को सूचित करें।
- माल व मानव नुकसान कम से कम हो इसका प्रयत्न यथा सम्भव करें।

5. लोडिंग व अनलोडिंग में सुरक्षा:

लोडिंग में:

- स्पार्क अरेस्टर सही हालत में हो।
- टैंकर सही जगह पर खड़ा करें ईंजन बन्द, बैटरी कट आफ स्विच बन्द रखें, हैंड ब्रैक लगायें।
- व्हील चौक ब्लोक्स लगायें।
- टैंकर को अर्थिंग से जोड़े।
- अग्निशामक यंत्र निकाल कर टी.टी. के सामने जमीन पर रखें।
- बाटम वाल्व बंद रखें।
- चैम्बर का डोम कवर धीरे से खोले ताकी स्पार्क से बचें।
- लोडिंग आर्म फिल पाईप को ऊपर कर सावधानी से अन्दर डालें।
- लाईन वाल्व चैक करें क्योंकि वह पूर्णतः बन्द होना चाहिए।
- चैम्बर एक–एक करके भरें।

- लोडिंग करते समय पी.वी वाल्व या अन्य फिटिंग ना खोलें।
- कुछ अनहोनी लगने पर काम बन्द कर तुरन्त वे अधिकारी को सूचित करें।
- सावधानी से सीलिंग करें, मास्टर वाल्व बन्द करें, चैम्बर व मैनी फोल्ड करें।

अनलोडिंग में:

- गाड़ी सही जगह पर खड़ा करें।
- इंजन बन्द कर दें।
- बैटरी कट आफ स्विच हटा दें।
- हैंड ब्रेक लगायें।
- व्हील चौक ब्लोक्स लगायें।
- अग्निशामक यंत्र निकाल कर टी.टी. के सामने जमीन पर रखें।
- टैंकर को अर्थ कर दें व 10 से 15 मिनट तक खड़ा रहने दें।
- टैंकर व अनलोडिंग टैंक के चारों ओर सेफ्टी बैरियर बनायें।
- अनलोडिंग दिन के उजाले में ही करने की कोशिश करें।
- टी.टी. व मैनी फोल्ड तथा जमीन टैंक की बोडिंग करें।
- डिस्चार्ज पाईप पहले जमीन टैंक से जोडें फिर टी.टी. से डिस्चार्ज वाल्व के नीचे बोन्डिड बकैट रखें।
- डिस्चार्ज वाल्व को आहिस्ता–आहिस्ता खोलें।
- अनलोडिंग पूरी होने पर पहले डिस्चार्ज वाल्व बन्द करें व अर्थिंग हटा दें।
- अब पाईप को पहले टी.टी. से खोले फिर जमीनी टैंक से।
- जमीन टैंक का ढक्कन सही से बन्द करें व अर्थिंग हटा दें।

खतरनाक माल ढोने वाली गाड़ियों पर लगाए जानेवाले ज़रूरी निशान

Explosives
विस्फोटक

Non-flammable gases
अज्वलनशील गैसें

In-flammable gases
ज्वलनशील गैसें

Poison gases
जहरीली गैसें

Inflammable liquids
ज्वलनशील तरल पदार्थ

Inflammable liquids
ज्वलनशील तरल पदार्थ

In-flammable solids
ज्वलनशील ठोस पदार्थ

Substances liable to spontaneous combustion
स्वतः ज्वलनशील हो सकने वाली सामग्री

Substances which, on contact with water emit inflammable gases
वह सामग्री जो पानी के संपर्क में आने पर गैस उत्सर्जित करती है।

Oxidizing substances
ऑक्सीडाइजिंग सामग्री

Organic peroxides
आर्गेनिक (जीविक) परऑक्साइड

Poisonous (toxic) substances
जहरीली सामग्री

Harmful substances
नुकसानदायक सामग्री

Harmful substances
नुकसानदायक सामग्री

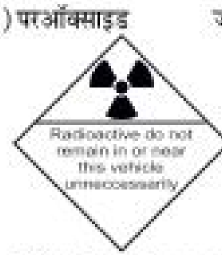

Infectious substances
संक्रामक सामग्री

Corrosives
क्षारक पदार्थ

स्कूली छात्र–छात्राओं का सुरक्षित परिवहन

1. स्कूल प्रशासन की भूमिका व दायित्व

- स्कूल के पास की सड़क पर सही मानदंडों के अनुसार स्पीड ब्रेकर व जेब्राक्रॉसिंग बने हो।
- बाल वाहिनी ड्राइवर को वैध चालक लाइसेंस मय बैच के न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।
- ड्राइवर निर्धारित यूनिफार्म खाकी शर्ट एवं खाकी पेंट में हो तथा वाहन की फिटनेस वैध हो।
- स्कूल बस में छात्रों को उतरने या चढ़ाने में सहायता के लिए एक परिचालक हो।
- स्कूल में एक ट्रैफिक संयोजक एवं रोड सेफ्टी क्लब बना हो।
- स्कूल के पास गति सीमा 25 किमी का यातायात चिन्ह का बोर्ड लगा हो।

2. छात्र–छात्राओं की भूमिका व दायित्व

- **स्कूल बस से आने जाने में**
- बस के पूरी तरह रूकने का इंतजार करे एवं चढ़ने के लिए भागे नहीं।
- वाहन चलाते समय वाहन चालक से बात न करें।
- बस के जाने बाद ही रास्ता पार करें।
- कोई दुर्घटना या बस खराब होने पर चालक/परिचालक के निर्देशों का पालन करें।
- बस में से शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले।

- बस में कोई भी अनजान या अवांछित वस्तु दिखने पर चालक को सूचित करें।

- **दुपहिया वाहन पर आने जाने में**
- बिना लाइसेंस एवं निर्धारित से कम उम्र में वाहन चलाना कानूनन अपराध है।
- वाहन के रजिस्ट्रेशन, पीयूसी, इंश्योरेंस आदि अपने पास अवश्य रखें।
- दुपहिया वाहन चलाते समय अच्छी क्वालिटी के आई.एस.आई. मार्क के हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें एवं हेलमेट के स्ट्रॅप को कस के बांधें।
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/हेड फोन का इस्तेमाल न करें। वाहन तेज गति से न चलाये।
- लाल बत्ती का उल्लंघन न करें।

- **साइकिल पर स्कूल आने जाने में**
- चलने से पहले पीछे, दाएं और बाएं अवश्य देखें।
- कभी भी दूसरे वाहन को पकड़कर या साथ चल रही साइकिल पर बैठे लोगों का हाथ पकड़कर साइकिल न चलाएं।
- साइकिल के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर ठीक होने चाहिए।
- साइकिल चलाने से पहले उसके ब्रेक एवं टायरों की जांच ठीक से कर लें।
- सम्भव हो तो साइकिल हेलमेट पहने, जो विशेष दुकानों पर मिलता है।
- साइकिल चलाते समय कान में ईयरफोन लगाकर गाने न सुनें।

- सड़क पर चल रहे जानवरों से बच कर चलें।

- **सार्वजनिक परिवहन जैसे ऑटो/वेन/मिनी बस से स्कूल आने जाने में**
- चालक क्षमता से अधिक सवारी न बैठाये।
- नशे में वाहन न चलाये।
- वाहन तेज गति में न चलाये।
- वाहन का रखरखाव सही तरह से करें।

- **पैदल स्कूल आने जाने में**
- जहां सड़क पर फुटपाथ हो, वहां पैदल चलने वाले को बायीं ओर चलना चाहिए अन्यथा सड़क के दायीं ओर चले।
- सड़क पार करते समय पहले दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं देखकर तय कर लें कि दोनों ओर से कोई वाहन न आ रहा हो।
- शहरों में चौराहों के पास जेब्राक्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर वाहन रूक हुए हों तभी सड़क पार करनी चाहिए।

3. अभिभावकों की भूमिका एवं दायित्व

- बच्चों को उचित स्थान से ही उतारे एवं चढ़ायें।
- बच्चों को सिखाये कि बस से उतर कर सड़क कैसे पार करनी चाहिए।
- किसी भी तरह की समस्या होने पर स्कूल प्रशासन को सूचित करें।

- बच्चों को समझाये कि लेट हो जाने पर एवं बस छूट जाने पर क्या करें।
- अभिभावक सड़क सुरक्षा क्लब की बैठक में बच्चों के सुरक्षित व्यवहार की समीक्षा का उचित निर्णय लें।
- क्षमता से अधिक यात्री परिवहन करने वाले वाहन में बच्चों को ना जाने दें।

4. स्कूल बस चालक की भूमिका एवं दायित्व

- वह समय का पाबन्द हो।
- स्कूल बस को निर्धारित स्थान पर ही रोके।
- बस को हमेशा फिट रखें।
- बस के दरवाजों का हमेशा ध्यान रखें।

5. अन्य

- **रोड़ सेफ्टी क्लब**
- हर स्कूल में एक रोड़ सेफ्टी क्लब की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें ट्रैफिक वार्डन, शिक्षक, अभिभावक शामिल हो, जो समय–समय पर यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में भागीदार बने।

- **सड़क सुरक्षा शिक्षक का होना अनिवार्य**
- प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक सड़क सुरक्षा के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले होने चाहिए जो राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र धारक हो।

पैदल यात्रियों के लिए

- भारत में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मारे जाने वाले पैदल यात्री होते है, जिन में छोटे बच्चों का अनुपात काफी होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों व अन्य सड़कों पर स्थित गांवों में रहने वाले लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने की अधिक सम्भावना रखते है। इसलिये यह आवश्यक है कि सड़क पर पूरी सावधानी रखी जाये।
- सड़क पर हमेशा पैदलपथ का प्रयोग करें। जहाँ पर फुटपाथ न हो वहाँ सर्दव सड़क के दाई ओर चलें, ताकि आप सामने से अपने वाले ट्रैफिक को देख सकें और समय पर खुद को खतरे से बचा सकें।
- अपने साथ छोटे बच्चों को हमेशा सड़क के किनारे की तरफ रखें व उनका हाथ पकड़ कर नियंत्रण में रखें।
- यह कभी भी मान कर न चलें कि आप सड़क पर सबको नजर आ ही जाएगें। अतः रात को हल्के रंग के सफेद व चमकदार कपड़े पहनें।
- चमकने वाले टेप, टार्च, लालटेन इत्यादि का इस्तेमाल करें जो रात में गाड़ी चालक को आपकी मौजूदगी के बारे में बता सके।
- सड़क पार करने के समय हमेशा वृद्ध, अपंग एवं छोटे बच्चों को पार करने में मदद करें।
- पैदल पार पथ (जैब्राकॉसिंग) न होने की स्थिति में सड़क पर वही से पार करें जहाँ पर पार करना सुरक्षित हो और दोनों दिशाओं से यातायात स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।

- सुरक्षित सड़क पार करने के लिए हमेशा पहले आप अपनी ओर आते हुये यातायात को देखें। फिर दूसरी दिशा से आते हुये यातायात को देखने के बाद पुनः अपनी तरफ आते यातायात को देखें। जब यह सुनिश्चित हो जाए कि रास्ता बिल्कुल सुरक्षित और साफ है, तभी तेजी से चलते हुए सड़क पार करें।
- कभी भी किसी सड़क के मोड़ पर या खड़े वाहनों के बीच से सड़क पार करने का प्रयास न करें।
- चौड़ी सड़कों को हमेशा दो हिस्सों में पार करें। डिवाइडर पर पहुँचने पर एक बार फिर दोनों तरफ से अपने वाले ट्रैफिक को ध्यानपूर्वक देखें व साफ और सुरक्षित रास्ता मिलने पर ही सड़क पार करें।

दुपहिया वाहन चालकों के लिये

- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन कभी न चलाएँ।
- भारी यातायात वाली सड़कों पर कभी भी वाहन चलाना न सीखे। व्यस्त मार्गों पर सुरक्षात्मक ढंग से गाड़ी चलाये।
- दुपहिया वाहन चालक हमेशा आई.एस.आई. मार्क के हेलमेट का प्रयोग करें तथा उसके फीते को कस कर अच्छी तरह लगाएँ।
- यातायात सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करें।
- सीमित गति सीमा में गाड़ी चलाये तथा खतरनाक ढंग से गाड़ी न चलाएँ।

- दुपहिया वाहन चालक रात्रि एवं खराब मौसम में हल्के रंग के वस्त्र पहनें जिससे आप दूसरे चालको को स्पष्ट दिखाई दे सके।
- ध्यान रखें। खराब मौसम में गाड़ी चलाते समय देखने की शक्ति कम होती है और सड़क फिसलने वाली हो जाती है। मुड़ते समय विशेष ध्यान रखें।
- मुड़ते समय, लेन बदलते समय, रूकते समय इन्डीकेटर के अतिरिक्त पूर्ण रूप से हाथ का संकेत करें। जिससे दूसरे सड़क का प्रयोग करने वाले आपकी इच्छा से अवगत हो सकें।
- अपने वाहन को सुरक्षित दूरी पर रखकर चलाये।
- चौराहों पर हॉर्न का प्रयोग न करें।
- पीली लाइन के बांयी तरफ रहे। अनावश्यक हॉर्न न बजाऐं।
- चार पहिया वाहन चालक व बैठने वाले सभी सवारी सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
- चौराहों पर हमेशा स्टाप लाइन के पीछे रूकें और अपनी जाने वाली दिशा की लाइन में खड़े हो।
- पैदल पारपथ पर धीरे वाहन चलाएँ। पहले पैदल व्यक्तियों को सड़क पार करने का पूरा अवसर दे।
- विद्यालय एवं अस्पताल के पास धीरे वाहन चलाएँ। हॉर्न का प्रयोग न करें।

सड़क हादसों में अधिकतर मृत्यु सिर पर चोट लगने के कारण होती है।

उच्च गुणवत्ता आई.एस.आई. मार्क वाला हेलमेट सिर पर गंभीर चोटों की संभावना को 70 प्रतिशत तक घटाता है।

साइकिल चालकों के लिए

- साइकिल पर लाइट व आगे–पीछे रिफ्लेक्टर लगे हो, जिससे कि रात में सड़क स्पष्ट नजर आए व अन्य गाड़ी चालको को साइकिल दूर से दिख जाए। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि साइकिल प्रयोगकर्ता हल्के रंग के अथवा चमकने वाले कपड़े पहने।
- साइकिल चलाते समय विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ हेलमेट का प्रयोग करें।
- पीछे से आने वाले ट्रैफिक की जानकारी रखने के लिए साइकिल पर रियर–व्यू शीशा लगाएँ।
- जहाँ पर साइकिल के लिए अलग रास्ता हो वहाँ उसी का प्रयोग करें। अन्यथा हमेशा सड़क के बाएँ किनारे पर ही साइकिल चलाएँ। उल्टी दिशा में साइकिल चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है।

☑ क्या करें

- ड्राइविंग करते समय आगे वाले वाहन से उचित दूरी बनायें रखें।
- ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
- सुरक्षित रूप से चलाएँ और राहगीरों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में चौकन्ने रहें।
- टर्न लेते समय, लेन बदलते समय, रूकते समय, धीमे करते समय आदि के लिए हमेशा सही सिग्नल दें।
- ड्राइविंग करते समय अपने पीछे वाले वाहन की स्थिति जानने के लिए रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करें।
- ड्राइविंग करते समय एम्बुलेंस और पुलिस को पहले जाने दे।
- हमेशा आई.एस.आई. मार्क का हेलमेट ही उपयोग करें।
- हमेशा सड़क जेब्राक्रॉसिंग से ही पार करें।
- हाईवे पर मिलने से पूर्व एक बार रूक कर ही दाएं देखकर मिले।

☒ क्या न करें

- ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।
- ट्रैफिक सिग्नल न तोड़ें।
- बिना जरूरत हॉर्न न बजाएँ।
- शराब पीकर ड्राइविंग न करें।
- कम उम्र के बच्चे को ड्राइविंग हेतु प्रोत्साहित न करें।
- बच्चों को सड़क पर खेलने के लिए अनुमति न दें।
- दुपहिया वाहन पर तीन व्यक्ति न बैठायें।
- लालबत्ती को न पार करे, यह खतरनाक है।
- स्कूल बस और ऑटो वेन आदि में क्षमता से अधिक न बैठाएं।
- थके या तनावग्रस्त होने पर ड्राइविंग न करें।
- अवैध यात्री वाहनों में यात्रा न करें।

कार ड्राइविंग के लिए प्राथमिक सुरक्षा उपाय

इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी)

ईएससी सीट बेल्ट के प्रवर्तन के उपरांत वाहन सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है और टक्कर से बचने की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्ध प्रणाली है– परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि यह सभी में से एक तिहाई टक्करों की रोकथाम कर सकता है। यूरोप में इसके आरंभ होने के पश्चात इसने 6,100 जीवनों की रक्षा की है।

यदि कार रपटने या स्किड होने लगती है या जब अचानक बचाव के कदम उठाने (जैसे रुकावट से बचने के लिए मोड़ने) की आवश्यकता होती है, तब यह ड्राइवर को नियंत्रण खोने से रोकने में सहायता करता है। प्रत्येक पहिये में लगे संवेदक या सेंसर रपटने या फिसलने का आरंभ में ही पता लगा लेते है और अलग–अलग पहियों पर छोटी मात्रा में स्वतः ही ब्रेक लग जाते हैं ताकि स्थिरता पुनः प्राप्त की जा सके और कार को वापस नियंत्रण में लाया जा सके।

एंटीस्कीड ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)

एबीएस – बल वितरण रोकने की शक्ति को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक पहिये पर लगने वाले ब्रेक–बल की मात्रा को स्वचालित ढंग से बदलता और कम या अधिक कर देता है। सड़क की स्थिति, गति और पकड़ के अलग–अलग होने जैसे कारकों का अर्थ है कि सभी पहियों पर बराबर ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एबीएस ईश्टतम ब्रेक–बल संतुलन स्थापित करता है और इस प्रकार कार को सुरक्षित ढंग से और एक सीधी रेखा में तेजी से ठहरने की स्थिति में लाता है। सरकार सभी गाड़ियों के लिए प्रयासरत है।

ब्रेक सहायक (बीए)

ब्रेक सहायक आपात स्थिति में ब्रेक लगाने के दौरान कार को अधिक तेजी से रोकने में ड्राइवर की सहायता करता है। परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि जब आपात स्थिति में रोकते समय अनेक ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रायः पर्याप्त तेजी से या पर्याप्त दृढ़ता से नहीं दबाते ताकि कार की ब्रेक लगाने की शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकें। ब्रेक सहायक ब्रेक लगाने की आपात स्थिति के संकेतों को पहचान लेता है और स्वतः ही ड्राइवर को अतिरिक्त ब्रेक अवलंब प्रदान करता है।

ऑटोमेटिक इमरजेन्सी ब्रेकिंग (एईबी) और टक्कर बचाव प्रणालियां

ये उन्नत प्रणालियां कैमरों और राडार का उपयोग करती हैं ताकि जब कोई चीज सामने आ जाती है और टक्कर या संघात की संभावना होती है तो उसके संबंध में पता लगा सकें, कुछ कारें ड्राइवर को खतरे की सूचना देने और ब्रेक को कार्रवाई के लिए तैयार करने के लिए ऑडियो–विजुअल चेतावनियों का उपयोग करेंगी। कुछ अन्य कारें, जिनमें पूर्ण एईबी लगा होगा, टक्कर को रोकने (या टक्कर के संघात को कम करने) में ड्राइवर के विफल होने की स्थिति में स्वतः ही कार को ब्रेक लगा देंगी। अध्ययनों से पता चला है कि पूर्ण एईबी के परिणामस्वरूप पिछले भाग की टक्करों में 38 प्रतिशत कमी आती है। भविष्य में सभी गाड़ियों में इस प्रणाली की सुविधा हो सकती है।

कार ड्राइविंग के लिए द्वितीयक सुरक्षा उपाय

सीटबेल्ट

सीटबेल्ट जीवन की रक्षा करती है और अगली तथा पिछली सीट के यात्रियों को उन्हें अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप नहीं बांधत हैं तो दुर्घटना में आपके आहत होने की दोगुनी संभावना होती है। सदैव सीटबेल्ट बांधे, यहां तक की छोटी, जानी–पहचानी यात्राओं में भी अन्यथा परिणाम प्राणलेवा हो सकते हैं, और अपनी सीटबेल्ट सही ढंग से बांधे ताकि यह आपको दुर्घटना की स्थिति में यथासंभव सुरक्षा प्रदान कर सके।

सीटबेल्ट मृत्यु या चोट की संभावना को बहुत प्रबल रूप से कम कर देती है और आधुनिक सीटबेल्ट में और भी संवर्धनकारी उपाय होते हैं जो उनकी प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सीटबेल्ट के प्रि–टेंशनर्स या पूर्व–तननकों को जब पता चलता है कि टक्कर करीब है, तब वे बेल्ट में ढीलापन होने पर उसे तान देते हैं। लोड लिमिटर या भार परिसीमक टक्कर होने की स्थिति में बेल्ट को हल्का–सा खींचकर यात्रियों के शरीरों पर अवस्थित अधिकतम भार को कम कर देते हैं और इस प्रकार चोट लगने से रोकने में सहायता करते है।

एयरबैग

एयरबैग टक्करों में गंभीर चोटों या क्षति को कम करने अथवा रोकने में बड़ा अंतर ला सकते हैं। कार मॉनीटर के भीतर लगे संवेदक या सेंसर उसकी गति कम होने या टक्कर की स्थिति में सवारी तथा कार के आंतरिक भाग के बीच किसी भी संघात या टक्कर से बचाने के लिए एयरबैग के प्रस्फोट को सक्रिय कर देंगें।

सामान्य रूप से कार में जितने अधिक एयरबैग हों उतना अच्छा।

अगले एयरबैग आमने–सामने यी सीधी टक्कर में सहायता करते हैं, किंतु सीट और द्वार से लगे एयरबैग बगल से लगने वाले संघात में कूल्हे, सीने या छाती और पेट की रक्षा में सहायता करते है, जबकि करटेन एयरबैग छत की रेखा से नीचे आकर यात्रियों के सिर की रक्षा करते हैं। अभी विगत दिनों ही घुटने की ऊंचाई तक के एयरबैग आरंभ किए गए हैं ताकि कार के आंतरिक भाग के निचले स्तर के अवयवों जैसे स्टीयरिंग कॉलम के कारण अगली सीट पर बैठी सवांरियों को संभावित चोटर या क्षति से बचाया जा सके।

अधिक आधुनिक डयूल–स्टेज या द्वि–चरण एयरबैगो में सेंसर लगाए गए हैं जो टक्कर की तीव्रता के आधार पर भिन्न–भिन्न प्रतिक्रिया को आरंभ करते हैं, उदाहरण के लिए, कम गति के संघातों में कम तेजी से फूलना। यह वास्तव में स्वयं एयरबैग के ही कारण चोट या क्षति की संभावना को कम करता है, जबकि पर्याप्त सुरक्षा अब भी प्रदान करता है। सरकार सभी कारों में एयरबेग अनिवार्य करने का प्रयास कर रही है।

सिर निरोधक या हेड रेस्ट्रैंट

सिर निरोधक या हेड रेस्ट्रैंट गर्दन की मोच जैसी क्षतियो को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं, किंतु प्रभावी होने के लिए उन्हें अच्छे प्रकार से डिजाइन और सवारी की लंबाई के अनुरूप सही ढंग से समायोजित किया गया होना चाहिए – जब सवारी आरामदायक ढंग से बैठी हो, तब इसका शीर्ष भाग व्यक्ति के सिर के शीर्ष भाग के स्तर पर होना चाहिए और सिर को निरोधक या रेस्ट्रैंट से एक इंच से अधिक दूर नहीं होना चाहिए।

कुछ कारें अब सक्रिय सिर निरोधक प्रयोग में लाती हैं जो टक्कर की स्थिति में सिर और गर्दन को अधिक अच्छे ढंग से सहारा देने तथा गर्दन की मोच के प्रभावों का शमन करने के लिए वास्तव में आगे आ जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध एवं सजा

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
१	वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना	मो.वा.अ.की धारा-१८१ के अंतर्गत अनुच्छेद-३	३ महीने या रू.५०० या दोनों
२	कम आयु वाले व्यक्ति (नाबालिग) द्वारा वाहन चलाना	मो.वा.अ.की धारा-१८१ के अंतर्गत अनुच्छोद-४	३ महीने या रू.५०० या दोनों
३	वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति या कम आयु वाले व्यक्ति को वाहन चलाने देना (अवयस्क को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता/अभिभावक/मित्र)।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८० के अंतर्गत अनुच्छेद-५	३ महीने या रू.१००० या दोनों
४	ड्राइविंग लाइसेंस धारक द्वारा अन्य व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-६(२)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व उसके बाद अपराध के लिए रू.३००
५	(i) अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना या(ii) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या प्राप्त कर रहा है या (iii) पूर्व में धारित ड्राइविंग लाइसेंसों पर पृष्ठांकनों के प्रकटन के बिना लाइसेंस प्राप्त करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८२(१) के अंतर्गत अनुच्छेद-२५	३ महीने या रू.५०० या दोनों
६	(i) अयोग्य कंडक्टर जो कंडक्टर के रूप में कार्य कर रहा है या (ii) कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या प्राप्त कर रहा है या (iii) पूर्व में धारित कंडक्टर लाइसेंसों पर पृष्ठांकनों के प्रकटन के बिना लाइसेंस प्राप्त करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८२ के अंतर्गत अनुच्छेद-३६	१ महीने या रू.१०० या दोनों
७	बिना लाइसेंस के स्कूल बस चलाना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत सीएमवी नियमावली का नियम-२४	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व उसके बाद अपराध के लिए रू.३००

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
८	अत्यधिक तीव्र गति से वाहन चलाना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८३(१) के अंतर्गत अनुच्छेद-११२	पहले अपराध के लिए रू. ४०० तथा दूसरे व उसके बाद अपराध के लिए रू.१०००
९	अपने कर्मचारी या अपने नियंत्रणाधीन व्यक्ति को अत्यधिक तीव्र गति में वाहन चलाने की अनुमति देना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८३(२) के अंतर्गत अनुच्छेयद-११२	पहले अपराध के लिए रू. ३०० तथा दूसरे व उसके बाद अपराध के लिए रू.५००
१०	चालक द्वारा अत्यधिक भार के साथ वाहन को चलाने की अनुमति प्रदान करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९४(१) के अंतर्गत अनुच्छेद-११३(३), ११४, ११५	न्यूनतम २००० रूपए और अतिरिक्त भार के लिए प्रति टन १००० रूपए व अतिरिक्त भार उतारने का खर्चा।
११	ड्राइवर द्वारा वजन करने के लिए वाहन को रोकने से इनकार करना या वजन करने से पूर्व सामान को उतारने से इनकार करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९४(२) के अंतर्गत अनुच्छेद-११४	रू. ३,०००
१२	निर्धारित यंत्र एवं नियमों के बगैर बायें हाथ के स्टेयरिंग नियंत्रण के साथ किसी व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना या किसी को चलाने की अनुमति देना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२०	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व उसके बाद अपराध के लिए रू.३००
१३	खतरनाक रूप से वाहन चलाना/ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८४ और १८८	पहले अपराध के लिए ६ माह जेल या रू.१,००० जुर्माना या दोनों और पिछले अपराध से ३ वर्ष के भीतर दूसरे या उसके बाद अपराध के लिए २ वर्ष जेल या २००० रूपए जुर्माना या दोनों।

क.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
१४	शराब के नशे में या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना/ ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८५/धारा- १८८	पहले अपराध के लिए ६ माह जेल या रू. २,००० या दोनों और पिछले अपराध से ३ वर्ष के भीतर दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए २ वर्ष जेल या ३००० रूपए या दोनों।
१५	मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी वाहन चलाना/ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८६/धारा- १८८	पहले अपराध के लिए रू. २०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.५००
१६	बीमा-रहित वाहन को चलाना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९६ के अंतर्गत अनुच्छेद-१४६	३ माह या रू. १,००० या दोनों
१७	ड्राइवर द्वारा यातायात संकेतों के अनुपालन में विफलता (लाल बत्ती को पार करना, पीली रेखा का उल्लंघन, बिना इंडिकेशन के लेन बदलना, आदि)	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-११९	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू. ३००
१८	निश्चित अवसरों पर निर्धारित सिग्नल देने में ड्राइवर की विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९४ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२१	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
१९	विनिर्दिष्ट मार्गों/क्षेत्रों में एचटीवी पर समय प्रतिबंध का उल्लंघन करना।	मो.वा.अ.की धारा-१९४ के अंतर्गत अनुच्छेद-११५	रू. २,०००
२०	ड्राइवर द्वारा वाहन के नियंत्रण को किसी और द्वारा अवरूद्ध किए जाने की अनुमति देना (इस प्रकार बैठाना जिससे चालन आदि अवरूद्ध हो)	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२५	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू. ३००

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
२१	दुपहिया वाहन/मोटर साइकल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को बैठाकर वाहन चलाना (ट्रिपल राइड)	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२८(१)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
२२	ड्राइवर तथा पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरण (हेलमेट) का प्रयोग न किया जाना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२९	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
२३	वाहन या ट्रेलर को किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर खाली छोड़ना या छोड़ने की अनुमति प्रदान करना आदि।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२२, १२७	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू. ३०० (टोविंग फीस के लिए स्वामी भी दायी हो सकता है)
२४	वाहन चालक या प्रभारी द्वारा किसी व्यक्ति को चलते वाहन में चढने की अनुमति देना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२३(१)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू. ३००
२५	वाहन को चलाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सावधानियों के बिना वाहन को खड़ा करना या खड़ा करने की अनुमति देना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२६	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू. ३००
२६	गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानियां बरतने में विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३१	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
२७	कुछ मामलों में ड्राइवर द्वारा वाहन को रोकने में विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३२	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
२८	वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत सी. एम.वी नियमावली का नियम २१ (२५)	पहले अपराध के लिए रू १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
२९	सामान की लारी (गुड्स कैरेज) में सिटिंग क्षमता से अधिक लोगों को बैठाना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत सी. एम.वी नियमावली का नियम २१ (१०)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
३०	ऑटोरिक्शा/टैक्सी द्वारा अधिक किराए की मांग करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत सी. एम.वी नियमावली का नियम २१ (२३)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
३१	बिना नंबर प्लेट के मोटर वाहन को चलाना (नंबर प्लेट प्रदर्शित किए बिना)।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत सी. एम.वी नियमावली का नियम ५०	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
३२	परिवहन वाहन में विस्फोटक और उच्च ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
३३	चलते हुए वाहन में चढने या वाहने के ऊपर यात्रा करने या मोटर वाहन के बोनट पर बैठ कर यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१२३(२)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
३४	किसी व्यक्ति द्वारा खराब वाहन को किसी सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रकार खड़ा करना जिससे कि यातायात का सुगम प्रवाह बाधित होता हो	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-२०१	टोविंग प्रभारों के अतिरिक्त प्रति घंटे ५० रुपए
३५	निर्धारित समय के भीतर वाहन के स्वामी द्वारा आवास या व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन की सूचना देने में विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-४६	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३०० (तथापि, राज्य सरकार विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न राशियों को निर्धारित कर सकती है)
३६	निर्धारित समय सीमा के भीतर वाहन के हस्तांतरण के तथ्य को पंजीकरण प्राधिकरण को रिपोर्ट करने में विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-५०	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३०० (तथापि, राज्य सरकार विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न राशियों को निर्धारित कर सकती है)
३७	वाहन में अप्राधिकृत रूप से परिवर्तन करना (भिन्न प्रकार के ईंधन द्वारा इसके प्रचालन को सुलभ बनाने की सुविधा सहित)	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-५२	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३०० (तथापि, राज्य सरकार विलंब की अवधि को ध्यान में रखते हुए भिन्न राशियों को निर्धारित कर सकती है)
३८	सार्वजनिक स्थल पर वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर चालक द्वारा लाइसेंस दिखाने में विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३०(१)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
३९	मोटर वाहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लाइसेंस की मांग करने पर कंडक्टर द्वारा लाइसेंस दिखाने में विफलता।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३०(२)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
४०	पंजीकरण अधिकारी या मोटर वाहन विभाग के किसी अन्यथा अधिकारी द्वारा वाहन के स्वामी या ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति से मांग किए जाने पर निम्नलिखित प्रस्तुत न किया जाना: (अ) वाहन का बीमा प्रमाणपत्र, (ब) फिटनेस प्रमाणपत्र, और (स) परमिट	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३०(३)	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
४१	किसी सार्वजनिक क्षेत्र में मोटर वाहन को चलाने वाले किसी व्यक्ति से वर्दी में पुलिस अधिकारी या मोटर वाहन विभाग के अधिकारी द्वारा निम्नलिखित की मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता: (क) बीमा प्रमाणपत्र, (ख) पंजीकरण प्रमाणपत्र, (ग) ड्राइविंग लाइसेंस व परिवहन वाहन की स्थिति में, (घ) फिटनेस प्रमाणपत्र और (ङ.) पर्मिट	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
४२	जब मोटर वाहन का चालक या कंडक्टर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी सिद्ध होता है तो, पुलिस प्राधिकारी द्वारा वाहन के स्वामी से ड्राइवर या कंडक्टर का नाम तथा पता व उसके द्वारा धारित लाइसेंस के विषय में सूचना उपलब्धि कराने में विफलता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३३	पहले अपराध के लिए ६ महीने या रू.५०० या दोनों तथा अनुवर्ती अपराधों के लिए ६ महीने या रू १००० या दोनों।
४३	यदि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो, वाहन के ड्राइवर या प्रभारी द्वारा:	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८७ के अंतर्गत अनुच्छेद-१३४	पहले अपराध के लिए ६ महीने या रू.५०० या दोनों तथा अनुवर्ती अपराधों के लिए ६ महीने या रू

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
	(क) दुर्घटना के पीडित को चिकित्सा सहायता उपलब्ध न कराना। (ख) पुलिस अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन पर दुर्घटना आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध न कराना। (ग) बीमाकर्ता को दुर्घटना के संबंध में सूचना उपलब्ध न कराना।		१००० या दोनों।
४४	कोई व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थल में या किसी अन्य स्थल में वैध पंजीकरण के बिना या झूठे पंजीकरण मार्क को प्रदर्शित करते हुए वाहन चलाता है या वाहन का स्वामी ऐसा करने की अनुमति प्रदान करता है ("अपंजीकृत वाहन" या "आवेदन किया गया है" प्रदर्शित करते हुए)	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९२(१) के अंतर्गत अनुच्छेयद-३९(१)	पहले अपराध के लिए रू ५,००० किन्तु यह रू. २,००० से कम नहीं होना चाहिए और एक वर्ष तक की जेल। दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए रू १०००० किन्तु यह ५००० से कम नहीं होना चाहिए या दोनों।
४५	१२ महीने से अधिक की अवधि के लिए पंजीकरण मार्क या अन्य राज्य वाले वाहन को चलाता है।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७७ के अंतर्गत अनुच्छेद-४७	पहले अपराध के लिए रू. १०० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.३००
४६	कोई व्यक्ति यदि ऐसे मार्ग या क्षेत्र के लिए आवश्यक परमिट के बिना वाहन चलाता है या चलाने की अनुमति प्रदान करता है, जहां के लिए या जिस प्रयोजन के लिए उस परमिट का प्रयोग किया जाता है।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९२ के अंतर्गत अनुच्छेद-६६(१)	पहले अपराध के लिए रू ५,००० किन्तु यह रू. २,००० से कम नही होना चाहिए और एक वर्ष तक की जेल जो ३ महीने से कम नही होनी चाहिए। दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए रू. १०००० किन्तु यह ५००० से कम नही होना चाहिए या दोनों।
४७	खराब गुणवत्ता के कलपुर्जों या प्रक्रिया का प्रयोग करने वाला कोई विनिर्माता	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१८२ के अंतर्गत अनुच्छेद-१०९(३)	पहले अपराध के लिए रू. १००० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.५०००

क.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
४८	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में खराब मोटर वाहन या ट्रेलर को चलाना या चलाने की अनुमति प्रदान करना, यदि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाए जिसके कारण शारीरिक चोट लगी है या संपत्ति को क्षति पहुंची है।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९०(१)	३ महीने या रू. १,००० या दोनों
४९	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार मोटर वाहन चलाना या चलाने की अनुमति प्रदान करना, जिससे कि सड़क सुरक्षा, ध्वनि या वायु प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित निर्धारित मानकों का उल्लंघन होता है (खराब साइलेंसर या साइलेंसर के बिना, आदि रूपों में वाहन का प्रयोग)।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९०(२)	पहले अपराध के लिए रू. १००० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए रू.२०००
५०	किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार मोटर वाहन को चलाना या अनुमति प्रदान करना, जिससे कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण वस्तुओं से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९०(३)	पहले अपराध के लिए १ वर्ष या रू. ३००० या दोनों तथा अनुवर्ती अपराधों के लिए ३ वर्ष या रू ५००० या दोनों।
५१	कोई आयातकर्ता या डीलर मोटर वाहन या ट्रेलर को ऐसी स्थिति में या परिवर्तित स्थिति में बेचता है या सुपुर्दगी देता है या बेचने या सुपुर्दगी देने का प्रस्ताव करता है, जिसका सार्वजनिक स्थल में प्रयोग करने से मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय VII उल्लंघन होता है।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९१	रू. ५००
५२	स्ट्रेज कैरेज में बिना टिकट या पास के यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति, या मांगे जाने पर टिकट या पास न दिखाना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७८ (१) के अंतर्गत अनुच्छेद-१२४	रू. ५००
५३	स्ट्रेज कैरेज का कंडक्टर जानबूझकर या लापरवाही के कारण किराया नहीं लेता है या टिकट जारी नहीं करता है या कम मूल्य की टिकट जारी करता है या जांच निरीक्षक जानबूझकर या लापरवाही के कारण पास या टिकट की जांच करने में विफल रहता है या नकार करता है।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७८ (२)	रू. ५००

क्र.सं	अपराध का विवरण	धारा /नियम	अधिकतम कारावास अवधि/जुर्माना
५४	परमिट धारक या ठेके के केरिज प्रचालन करने या यात्रियों को ले जाने से इंकार करते हैं: (क) दुपहिया या तिपहिया वाहनों के माम्ले में (ख) अन्यों के मामले में	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७८ (३)	रू. ५० रू. २००
५५	शक्तिप्रदत्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन न करना या मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों का निष्पादन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के लिए अवरोध उत्पन्न करना।	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१७९(१)	रू. ५००
५६.	अपेक्षित सूचना को छिपाना या गलत सूचना उपलब्ध कराना	मो.वा.अ.की धारा-१७९(२)	१ महीने या रू.५०० या दोनों
५७.	रेस लगाना या गति परीक्षण करना	मो.वा.अ.की धारा-१८९	१ महीने या रू.५०० या दोनों
५८.	धारा ९३ या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति द्वारा एजेंट या क्नेसर का कार्य करना	मोटर वाहन अधिनियम की धारा-१९३ के अंतर्गत अनुच्छेद-९३	पहले अपराध के लिए रू. १००० तथा दूसरे व अनुवर्ती अपराधों के लिए ६ माह या रू.२००० या दोनों।
५९.	बिना प्राधिकार के वाहन को लेजाना	मो.वा.अ.की की धारा-१९७	३ महीने या रू.५०० या दोनों
६०.	अप्राधिकृत रूप से वाहन के साथ हस्तक्षेप	मो.वा.अ.की धारा-१९८	रू. १००

सड़क सुरक्षा के स्वर्णिम 10 नियम

रूकें या गति धीमी करें

अनियंत्रित ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। यह उनका हक है। (नियम 11)[1]

सुरक्षित बांधें

ताकि आप और आपका परिवार वाहन में सुरक्षित रहें (नियम 138)[2] सीट बेल्ट का प्रयोग दुर्घटना के दौरान मौत की सम्भावना को 60% तक घटाता है।

यातायात नियमों और चिन्हों का पालन करें

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये (नियम 119)[3]

गति सीमा का पालन करें

आपकी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए (नियम 112)[3] आवासीय व व्यावसायिक जगहों पर गतिसीमा 30 कि.मी. प्रति घंटा है पर वाहन की अनुकूल गति 20 कि.मी. प्रति घंटा रखें।

वाहन को दुरूस्त रखें

सड़क पर परेशानी व दुर्घटना से बचने के लिए (नियम 190)[3]

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें

ताकि ध्यान भंग न हों और दुर्घटना से बचे रहें (नियम 184)[3]

हेलमेट पहनें

दुपहिया वाहन पर अपने सर की सलामती के लिए (नियम 129)[3] उच्च गुणवत्ता वाला हेलमेट सर की भारी चोटों की सम्भावना को 70% तक घटाता है।

वाहन कभी असुरक्षित ढंग से न चलायें

आपकी और अन्य सड़क प्रयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए (नियम 184)[3]

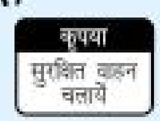

नम्र रहें

सड़क का सब के साथ सहभाग करें और दूसरों का ध्यान रखें। सड़क पर क्रोध/रोष न करें।

शराब पीकर वाहन न चलायें

जिम्मेदार बनें... शराब पीकर वाहन न चलायें (नियम 185)

रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है
हादसों रहित राष्ट्र का निर्माण करना
मेरा परम कर्तव्य है
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कर्तव्य निष्ठ
वाहन चालक बनकर
अपने माता–पिता, गुरूजनों, समाज व राष्ट्र का
विश्व में गौरव बढ़ाऊंगा
सड़क का उपयोग करते समय
यातायात नियमों व संकेतों का पालन करूँगा।
तथा हर संभव यह प्रयास करूँगा कि
मुझसे कोई दुर्घटना न हो
मैं कोई भी वाहन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस व
इंश्योरेन्स के बिना नहीं चलाऊंगा।
मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि मैं वाहन द्वारा
किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलाऊँ
बिना किसी नशे का सेवन कर,
गति पर नियन्त्रण रखूंगा।
और प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करूँगा
कि वह भी इनकी पालना करे।
सड़क पर चल रहे प्रत्येक प्राणी का ध्यान रख
राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करूँगा।

''आओ हम सब मिलकर एक नवीन स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ
सड़क संस्कृति विकसित करें।''

रोड सेफ्टी की प्रार्थना

इतनी 'सेफ्टी' हमें देना दाता,
'रोड सेफ्टी' से मुकरें कभी ना...
हम चले सेफ रस्ते पे हमसे,
भूलकर भी कभी 'हिट' हो ना...
हम चले सेफ रस्ते पे हमसे...
'रोड संज्ञा' समझें चले हम,
तेज रफ्तार को कम करें हम...
मन देगें सभी सड़क पर,
'जेब्रा' पार करेंगें संभलकर,
हम चले सेफ रस्ते पे हमसे...
भूलकर ना करें 'होर्न' सड़क पर,
जानकारी भी लेगें 'मार्किंग' पर,
दूर से ही दिखा देगें 'सिग्नल',
हम चले सेफ रस्ते पे हमसे...
बेल्ट रक्षा करेगा सभी की,
जग गाड़ी भिड़ेगी कहीं भी,
हेलमेट हमेशा पहनकर,
हम चले सेफ रस्ते पे हमसे...

टिप्पणी, विचारों व सहयोग का सहर्ष स्वागत है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
E-mail at: rscmorth@gmail.com, Website: www.morth.nic.in